रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 1997 (फाल्गुन 24, 1918)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 1997 (PHALGUNA 24, 1918)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	255
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	271
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	427
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	181
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	563
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं। .	607
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .	39
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . .	255
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	271
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	427
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	181
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	563
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	607
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	39
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

*Figs. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1997

सं. 12-प्रेज/97—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए ''शौर्य चक्र'' प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री मक्खन सिंह, पंजाब (मरणोपरांत)
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 21-9-1992)

21 सितम्बर, 1992 को सुबह लगभग 8-30 बजे गांव सराय, जिला अमृतसर के सरपंच श्री मक्खन सिंह और उनका भतीजा श्री गुरनाम सिंह मोटर साइकिल पर अपने गांव से खलियां जा रहे थे। जब वे जिला अमृतसर में धूलका निवासी स्वर्ण सिंह के खेतों के नजदीक पहुंचे तो दो आतंकवादियों, बलकार सिंह और निशान सिंह, जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के तथाकथित एरिया कमांडर थे ने उनकी मोटर साइकिल को रोका और श्री मक्खन सिंह से हाथापाई करने लगे। श्री मक्खन सिंह ने आतंकवादी निशान सिंह से ए. के. 47 असाल्ट राइफल छीनकर उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरे आतंकवादी बलकार सिंह के पास भी ए. के.-47 असाल्ट राइफल थी, उसने गोली चलानी शुरू कर दी। आतंकवादी द्वारा गोली चलाए जाने और मुठभेड़ हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री मक्खन सिंह मारे गए जब कि उनके भतीजे ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचा ली। मृत आतंकवादी से एक ए. के. 47 असाल्ट राइफल और असाल्ट राइफल की एक अतिरिक्त मैगजीन तथा बम और कुछ अप्रयुक्त कारतूसों का एक थैला मिला।

इस प्रकार, श्री मक्खन सिंह ने अपनी मौत को सामने आया देखकर भी अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और अपने जीवन का बलिदान करने से पहले एक आतंकवादी को मार गिराया।

2. श्री प्रीतम सिंह गबेल, मध्य प्रदेश
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 02-6-1994)

02 जून, 1994 को रात लगभग 8.30 बजे रिवाल्वरों तथा देशी बमों से लैस छह कुख्यात अपराधी मध्य प्रदेश के जिला बिलासपुर के देवरी गांव में लूट के इरादे से श्री ध्यानदास के घर में घुस आए। श्री ध्यानदास का छोटा भाई, श्री प्रीतम सिंह गबेल, जो साथ वाले घर में रहते थे, यह सुनकर एक फरसा ले वहां आए और उन्होंने डाकुओं को चुनौती दी। डाकुओं ने उन पर देशी बम फेंके और गोलियां चलाई। एक गोली उसके बाएं बाजू को चीरते हुए निकल गई। गोली के जख्म के बावजूद, अपनी जान की परवाह किए बिना, श्री गबेल अकेले ही सशस्त्र डाकुओं से लड़ते रहे। कड़ी चुनौती मिलने पर डाकू वापस भागने लगे और ऐसा करते समय उनके हाथ में एक बम फट गया। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। श्री गबेल ने बाकी के पांच डाकुओं को घेर लिया और गांव वालों तथा पुलिस की मदद से उन पांचों को पकड़ लिया गया।

गोली से घायल हो जाने के बावजूद श्री प्रीतम सिंह गबेल ने डाकुओं के गिरोह का मुकाबला करने और उन्हें पकड़ने में साहस और शौर्य का परिचय दिया।

3. मेजर बासिल मैसी (आई सी-44245), 5 पैरा
(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 12-4-1995)

मेजर बासिल मैसी 5 पैराशूट रेजिमेन्ट के राइफल कम्पनी कमांडर थे जो नागालैण्ड के दीमापुर कस्बे के भूमिगत विद्रोहियों से ग्रस्त क्षेत्र में कार्यरत थे।

13 जनवरी, 1995 को मेजर बासिल मैसी ने दीमापुर कस्बे की ओरिएन्टल कालोनी के एक मकान में योजना बनाकर साहसपूर्वक छापा मारा और एक भूमिगत विद्रोही को पकड़कर उसे काबू में कर लिया। अगले दिन 14 जनवरी, 1995 को इन्होंने 5 पैरा के हॉलिवार्न छापामार दल को हेवटो बटालियन कमांडर के बटालियन हेडक्वार्टर की ओर जाते समय नेतृत्व किया जिसमें दो भूमिगत विद्रोही मारे गए और भारी गोलाबारूद सहित दो हथियार व आसूचना दस्तावेज बरामद किए गए।

12 अप्रैल, 1995 को नैशनल सोसालिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (इसाकमुइवाह) के बटालियन कमांडर का मेजर बासिल मैसी ने साहसिक और गैर-पारम्परिक रूप से छापा मारकर सफाया कर दिया। इस छापे के कार्यान्वयन चरण में उक्त भूमिगत विद्रोही जिप्सी वाहन में भाग निकला परन्तु मेजर बासिल मैसी ने दूसरी जिप्सी से उसका पीछा किया। भूमिगत विद्रोही ने मेजर बासिल मैसी पर हथगोले फेंककर इनको वहीं रोके

को घायल कर दिया । यह वीर अफसर अपनी घावों की परवाह न करते हुए उस भूमिगत विद्रोही को मार गिराने में सफल रहे ।

इस प्रकार मेजर बासिल मेसी ने नागा विद्रोहियों का मुकाबला करने में उत्कृष्ट वीरता एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

4. मेजर वीरेन्द्र दतवालिया (आई सी-49087), 25 राष्ट्रीय राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 20-9-1995)

20 सितम्बर, 1995 को मेजर वीरेन्द्र सिंह दतवालिया, 25 राष्ट्रीय राइफल्स को अपने एक जूनियर कमीशन अफसर और 12 अन्य रैंकों के साथ कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों को खोजने के एक कमांडो मिशन पर नियुक्त किया गया जिनके बारे में जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के जल्डयानी गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी । उस इलाके में पहुंचने पर मेजर वीरेन्द्र दतवालिया संदेहास्पद मकान पर पहुंचे और इसकी मिट्टी की छत पर ऊपर चढ़ गए । घर के अंदर छिपे हुए कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों ने घर के अंदर से छत की ओर फायरिंग कर दी तथा गोलियां उनके बहुत करीब से निकल गई ।

एक राष्ट्र विरोधी तत्व को हथगोले के साथ बाहर की ओर भागता देखकर मेजर वीरेन्द्र दतवालिया फायरिंग करते हुए छत से नीचे कूदे और उसी जगह पर इन्होंने उस आतंकवादी को मार गिराया । 30 मीटर दूरी पर स्थित एक अन्य घर से इस अफसर और इनके दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी । मेजर वीरेन्द्र दतवालिया ने अपने छोटे से दल के साथ तुरन्त दोनों घरों की घेराबंदी की और दल के शेष साथियों के पहुंचने तक राष्ट्र विरोधी तत्वों को उलझाए रखा । तत्पश्चात् राकेट लांचरों से उस घर को निष्क्रिय करने पर तीन आतंकवादी सैन्य दल पर भारी गोलीबारी करते हुए घर से बाहर की ओर दौड़े । मेजर वीरेन्द्र दतवालिया ने राष्ट्र विरोधी तत्वों का पीछा किया और उनमें से दो को मार गिराया ।

इस प्रकार मेजर वीरेन्द्र दतवालिया ने अत्यंत साहस, बुद्धिमत्ता और उच्चकोटि की वीरता का परिचय देकर तीन खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया ।

5. मेजर धरमेन्द्र गुप्ता (आई सी-42867), 18 असम राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02-12-1995)

एक विशिष्ट सूचना मिलने पर 02 दिसम्बर, 1995 को 18 असम राइफल्स के मेजर धरमेन्द्र गुप्ता आई सी-42867 ने अपने 8 अन्य रैंकों के साथ जम्मू-कश्मीर में कुलगांव तहसील के पोन्यू गांव में एक मकान की तलाशी लेने की योजना बनाई ।

त्वरित कार्रवाई के जरिए घर से बाहर भागने के सभी रास्तों पर कब्जा करके मेजर धरमेन्द्र गुप्ता ने अपने तीन अन्य रैंकों के साथ उस मकान पर धावा बोलने की तैयारी की । बगल के मकान में छिपे हुए एक आतंकवादी को इस कार्रवाई का पता चल गया और उसने मेजर धरमेन्द्र गुप्ता के दल पर एक हथगोला फेंका और उसके बाद गोलियों की बौछार शुरू कर दी ।

मेजर धरमेन्द्र गुप्ता के माथे पर हथगोले के टुकड़ों से चोट लगने से तेजी से खून बहने लगा । तभी अचानक ही लक्षित मकान की छत के ऊपर से भी गोलीबारी शुरू हो गई । मेजर धरमेन्द्र गुप्ता ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और यह देखते हुए कि इनके सैन्य साथियों की जान खतरे में है, आपने अपनी गम्भीर चोट को भुलाकर झपटकर आतंकवादी को अपनी पोजीशन बदलने से पहले ही मार गिराया । आतंकित होकर दूसरा आतंकवादी घर से बाहर कूदा और पड़ोस के घर में घुसकर वहां से अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा । गोलियों की बौछार से अविचलित रहकर आपने दृढ़तापूर्वक और निसंकोच तरीके से कमरे में प्रवेश किया और अपने अचूक निशाने से उस आतंकवादी को वहीं पर ढेर कर दिया ।

इस प्रकार मेजर धरमेन्द्र गुप्ता ने अपने साथियों की जानें बचाने में असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

6. 2886537 राइफलमैन रविन्द्र सिंह, 13 राजपूताना राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 21-12-1995)

21 दिसम्बर, 1995 को सुबह लगभग 11 बजकर 25 मिनट पर जब 13 राजपूताना राइफल की "बी" कम्पनी जम्मू और कश्मीर में बारामूला जिले के टूर गांव में गश्त पर थी उस समय कम्पनी कमांडर ने एक घर में संदेहजनक गतिविधि महसूस की । राइफलमैन रविन्द्र सिंह को घर के मुख्य द्वार पर नजर रखने का आदेश दिया गया । जब सैन्य दल मोर्चा सम्भाल रहा था सभी आतंकवादियों ने भाग निकलने के लिए गोलियां चला दी ।

आमने-सामने की लड़ाई में राइफलमैन रविन्द्र सिंह ने हथियार रहित युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आतंकवादी की राइफल छीन ली और उसे मार गिराया तत्पश्चात् अपनी जान की लेश मात्र भी परवाह न करते हुए इन्होंने भागने की कोशिश करते हुए एक आतंकवादी का पीछा किया और उसे भी मार डाला ।

इस प्रकार राइफलमैन रविन्द्र सिंह ने अपनी सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह किए बिना साहस, दृढ़ निश्चय और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

7. कैप्टन हितेश भल्ला (आई सी-49510) से में, 21 राष्ट्रीय राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 05-01-1996)

5 जनवरी, 1996 को 21 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के कैप्टन हितेश भल्ला, सेना मैडल, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा

जिले के कंडी क्षेत्र में संक्रिया गणपति के अंतर्गत खोजबीन का कार्य कर रहे थे ।

खोजबीन करते समय इनके दल पर भाड़े के दो विदेशी उग्रवादियों ने अपने छिपने के स्थान से गोलीबारी शुरू कर दी जिसे दो गैर-कमीशन अफसर घायल हो गए । कैप्टन हितेश भल्ला ने तत्काल उग्रवादियों के छिपने के स्थान को घेरने का आदेश दिया और स्वयं उग्रवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से की जा रही प्रभावी गोलीबारी के बीच रेंगकर जाते हुए उग्रवादियों के छिपने के स्थान में घुस गए और दोनों घायल अफसरों को बचा लिया ।

तत्पश्चात् इन्होंने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना रेंगकर उग्रवादियों के ठिकाने की ओर बढ़े और उनके ठिकाने के अंदर एक हथगोला फेंक दिया । इसके परिणाम-स्वरूप एक उग्रवादी बुरी तरह से घायल हो गया और दूसरा छत के दरवाजे के निकट आ गया । आमने-सामने की लड़ाई में इस अफसर ने बहुत ही नजदीक से एक अन्य उग्रवादी को मार गिराया ।

इस प्रकार कैप्टन हितेश भल्ला, से मेने अपनी सुरक्षा की रंचमात्र परवाह किए बिना अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

8. 2882653 लांस नायक राज सिंह, 13 राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17-2-1996)

17 फरवरी, 1996 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में राजपूताना राइफल्स की 13वीं बटालियन के जवानों ने आतंकवादियों के छिपने के स्थान का पता लगाकर उसे नष्ट करने के लिए खड़ी चढ़ाई और भारी हिम व घने जंगल से होते हुए कबुत पहाड़ी पर चढ़ाई की ।

दोपहर बाद लगभग 4 बजे ये जवान उग्रवादियों की गोलीबारी में घिर गए । 13 राष्ट्रीय राइफल्स के लांस नायक राज सिंह असाधारण साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के निकट गए परन्तु आरम्भिक मुठभेड़ में वे गोलीबारी में घायल हो गए ।

यह देखकर कि आतंकवादियों की गोलीबारी से कमांडिंग अफसर की मृत्यु हो गई है, लांस नायक राज सिंह अपनी चोट और व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए रेंगकर आगे बढ़े और आतंकवादियों के निकट जाकर भाड़े के अफगान आतंकवादी को हाथापाई करके मार गिराया ।

तत्पश्चात्, उन्होंने अन्य आतंकवादियों का पीछा करके उन्हें घायल कर दिया । इस कार्रवाई में लांस नायक राज सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गए और अंततः 17 फरवरी, 1996 को उनका देहान्त हो गया ।

इस प्रकार लांस नायक राज सिंह ने असाधारण वीरता, अदभुत साहस, उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय देकर अपने प्राण न्योछावर कर दिए ।

9. 4360580 सिपाही सथीसन एस, 35 राष्ट्रीय राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 20-2-1996)

35 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही सथीसन एस जम्मू-कश्मीर के बडगांव जिले के बोभिना गांव की विशेष तलाशी के लिए गठित कार्य तीव्र प्रतिक्रिया दल में शामिल थे ।

20 फरवरी, 1996 को गांव बीभिना में पैसा एंठने के उद्देश्य से ठहरे हुए मुस्तफा अहमद उर्फ शौकत और नजीर अहमद नामक दो आतंकवादियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई ।

रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे जैसे ही तीव्र प्रतिक्रिया दल उस मकान में घुसा जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे, दोनों राष्ट्र विरोधी तत्वों ने सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी और भागने का प्रयास करने लगे । नजीर अहमद ए के राइफल से गोलियां दागने के बाद खिड़की से कूदकर भाग निकला । सिपाही सथीसन अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए उस आतंकवादी के पीछे दौड़े और उसे दबोच लिया । इस हाथापाई के दौरान नजीर अहमद ने सिपाही सथीसन पर तेज धारदार हथियार से उनके दाएं हाथ को घायल करके अपने को छुड़ाने का प्रयास किया । सिपाही सथीसन ने अपने घाव की परवाह न करते हुए अनुकरणीय वीरता का परिचय देते हुए नजीर अहमद को मार गिराया । मुस्तफा अहमद जोकि भागते समय गोली चला रहा था, को भी उन्होंने काम तमाम कर दिया ।

इस प्रकार सिपाही सथीसन ने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए घायल हो जाने व अपनी जान को भारी खतरा होने के बावजूद दुर्दान्त उग्रवादियों का काम तमाम कर दिया ।

10. जी एस-171694-के लीडिंग हैन्ड (गैर-तकनीकी) विजेन्द्र सिंह सीमा सड़क संगठन

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 23-3-1996)

जी एस- 171694-के लीडिंग हैंड (गैर तकनीकी) विजेन्द्र सिंह 410 सड़क अनुरक्षा प्लाटून के अंतर्गत नागालैंड के फेज जिले में छाजूबा में तैनात था ।

23 मार्च, 1996 को लगभग 1845 बजे कुछ सशस्त्र बंदूकधारी बदमाश डी कैम्प में घुस गए । वे परिवार आवासों में घुस गए तथा स्त्रियों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और उनसे मूल्यवान वस्तुएं तथा नकदी छीनने लगे । श्री विजेन्द्र सिंह जो कि उस समय प्लाटून कार्यालय में था, तुरन्त डी कैम्प की ओर दौड़ा ।

श्री विजेन्द्र सिंह ने देखा कि एक बदमाश जिसके पास बंदूक थी एक घर में लूटपाट कर रहा है । इसने उसे पीछे से जाकर कसकर पकड़ लिया तथा उस बदमाश का हथियार छीनने का प्रयास किया । बदमाश ने भी इसका जमकर प्रतिरोध किया

तथा अपनी बंदूक से गोली दागी परन्तु इसके बावजूद भी वह नरम नहीं पड़ा बदमाश ने जब इन्हें अपने ऊपर हावी होता हुआ महसूस किया तो वह लगभग 10 मिनट तक लगातार हाथापाई के पश्चात् अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। आपने अपनी जरा सी परवाह न करते हुए बदमाशों को भागने पर मजबूर कर दिया और इस प्रकार परिवारों में होने वाली लूटपाट को रोक दिया।

इस प्रकार श्री विजेन्द्रा सिंह ने अदम्य साहस, पराक्रम, महान उत्तरदायित्व, तत्परता तथा अत्यंत ही धीरता का परिचय दिया।

11. 3000821 नायक एल थोइबा सिंह, 30 असम राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 3 मई, 1996)

3 मई, 1996 को यह पक्की सूचना मिलने पर कि कुछ सशस्त्र विद्रोही सोइकांग लेइकाई, इम्फाल में शरण ले रहे हैं, सीधू कारवाई दल वहां भेजा गया जिसमें 30 असम राइफल्स के नायक थाइबा सिंह भी शामिल थे।

जिस समय उग्रवादियों के चारों ओर घेरा डाला जा रहा था इन्होंने भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिसका जवाब गोलीबारी से दिया गया। एक मकान की पहली मंजिल पर छिपे हुए विद्रोहियों की मौजूदगी की पहचान हो जाने पर जहां से कि गोलीबारी की जा रही थी, नायक एल थोइबा सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए मकान के आंगन की ओर लपके और टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ी के एकमात्र रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे तभी उन पर गोलीबारी की गई जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा घायल हो गया।

उन्होंने अपनी चोट की परवाह न करते हुए सीढ़ी से गिर जाने से पूर्व गोलीबारी करके दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। दोनों उग्रवादी कूदकर भाग निकले। उसके बाद खोज करने पर एक भूमिगत विद्रोह का शव मिला और उसके पास .32 पिस्तौल और 5 राउंड गोलाबारूद मिला। बाद में उसकी पहचान पी एस ए के दुर्दांत उग्रवादी के रूप में की गई।

इस प्रकार नायक एल थोइबा सिंह ने विद्रोहियों का मुकाबला करने में असाधारण उत्साह, सूझबूझ और उच्चकोटि की वीरता का परिचय दिया।

12. 1316901 लांस नायक जसबीर सिंह, 9 पैरा

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 5-5-1996)

पैराशूट रेजिमेंट के लांस नायक जसबीर सिंह उस 9 पैरा (विशेष बल) में शामिल थे जिसने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लोलाब घाटी में प्रतिविद्रोही संक्रियाएं की थीं। 4 मई, 1996 को इस दल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सामान्य क्षेत्र दर्दपुरा में घात लगाकर हमले करने की संक्रिया की योजना बनाई गई थी।

यह दल कठिन पहाड़ी क्षेत्र में रात भर की खड़ी चढ़ाई के बाद 5 मई, 1996 को घात लगाकर हमला करने के स्थल पर पहुंचा। सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर लांस नायक जसबीर सिंह ने एक सशस्त्र विदेशी उग्रवादी को देखा और अपने साथी के साथ 50 मीटर रेंगकर उस उग्रवादी के निकट पहुंच गए और उसके सिर पर गोली का प्रहार करके उसे मार गिराया। इस उग्रवादी के मारे जाने से हल्ला मच गया और लगभग 10-12 उग्रवादियों ने लांस नायक जसबीर सिंह और उनके साथी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। बौछार की पहली गोली लांस नायक जसबीर सिंह के पेट में लगी क्योंकि ये और इनका साथी गोलियों की भारी बौछार की जद में थे। पेट में चोट लग जाने के बावजूद लांस नायक जसबीर सिंह उत्कृष्ट वीरता का परिचय देते हुए गोलीबारी करते और हथगोले फेंकते आगे बढ़े। इस कार्रवाई से इन्होंने एक और उग्रवादी को मार गिराया तथा तीन अन्य उग्रवादियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप बाकी बचे उग्रवादी घायल उग्रवादी के साथ भाग गए। इस कार्रवाई के दौरान उनकी आंतें बाहर लटक गईं जिन्हें इन्होंने अपने साथी की सहायता से पेट के अन्दर करके फील्ड पट्टी कर ली। बाद में इन्हें अस्पताल ले जाया गया।

इस प्रकार लांस नायक जसबीर सिंह ने 2 दुर्दांत विदेशी भाड़े के उग्रवादियों को मारने तथा 2 ए के 47 राइफल जब्त करने में अनुकरणीय नेतृत्व गुणों का परिचय दिया।

13. मेजर जौन सौन्द्र पाण्डियन
(आई सी—38699),
19 मद्रास (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 10-5-1996)

10 मई, 1996 को 19 मद्रास के मेजर जौन सौन्द्र पाण्डियन ने जम्मू-कश्मीर सेक्टर के डोडा जिले के कठाउ क्षेत्र में अवरोध स्थिति स्थापित की। सुबह नौ बजकर पच्चीस मिनट पर कमांडिंग अफसर के दल को कठाउ के निकट उग्रवादियों के एक समूह का पता लगा और उस से मुठभेड़ हो गई जो 40 मिनट तक चली।

मेजर सौन्द्र पाण्डियन ने निकल भागने के रास्ते का पता लगाया और स्वेच्छा से गहरे जंगल में छिपे उग्रवादियों के निकट चले गए। उग्रवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू करके उस अफसर के सीने में गम्भीर घाव कर दिए। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उस बहादुर अफसर ने साहसिक रूप से गोलीबारी कर दी और अपने पर प्रहार करने वाले उग्रवादी को वहीं ढेर कर दिया। अन्य उग्रवादियों ने उन पर दो हथगोले फेंके जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

मेजर जौन सौन्द्र पाण्डियन वीरता असाधारण साहस और बल भावना का परिचय देते हुए 10 मई, 1996 को पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके इस बलिदान से उनकी यूनिट प्रेरणा पाकर सक्रिय हो गई और पांच उग्रवादियों को मार गिराया तथा उनके संगठन की शक्ति को नष्ट कर दिया।

इस प्रकार जौन सैन्द पाण्डियन ने असाधारण वीरता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

14. लैफ्टिनेन्ट कर्नल मुकेश चन्द्र शर्मा
(आई सी–36554),
16 राष्ट्रीय राइफल्स

(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22-5-1996)

22 मई, 1996 को लेफ्टिनेन्ट कर्नल मुकेश चन्द्र शर्मा स्थानापन्न कमांडिंग अफसर 16 राष्ट्रीय राइफल्स बोखा (नागालैण्ड)—गोलाघाटे (असम) सड़क पर आठ वाहनों के एक विशेष काफिले में जा रहे थे । वे जोंगा चला रहे थे जो काफिले में चौथा वाहन था ।

दोपहर सवा बारह बजे उस काफिले पर नागा उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया जो कि लगभग बीस से तीस की संख्या में थे । उन्होंने भारी गोलीबारी शुरू कर दी । गोलीबारी की पहली बौछार जोंगा पर सामने से लगी जिसमें लेफ्टिनेन्ट कर्नल शर्मा के सीने में घाव हो गए ।

यद्यपि वे घायल हो गए थे फिर भी उन्होंने तत्काल जोंगा रोका और अपने अन्य साथियों को वाहनों से उतरकर गोलीबारी का जवाब देने का आदेश दिया । उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल ली और घात लगाकर हमला कर रहे उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी ।

लहूलुहान हो जाने पर भी उन्होंने डाक्टरी सहायता लेने से मना कर दिया और बाएं हाथ से जोंगा चलाते और दाएं हाथ से गोलीबारी करते हुए गोलियों की बौछार के बीच से आगे बढ़े और साथ ही अपने साथियों को घात लगाकर हमला कर रहे उग्रवादियों पर गोलीबारी करने के लिए जोर से बोलकर प्रेरित किया । उन्होंने उग्रवादियों द्वारा गतिहीन कर दिए गए वाहन को संभाला और अपने साथियों को प्रेरित करते हुए काफिले के साथ आगे बढ़े, ऐसा करते समय और गोलियां लगीं जिनमें से दो मीटर की दूरी से चलाई गई एक घातक गोली उनके सिर में लग गई । लेफ्टिनेन्ट कर्नल मुकेश चन्द्र शर्मा घावों के कारण जोंगा के पहिए के निकट गिरकर वीरगति को प्राप्त हो गए और तब भी उन्होंने अपने हाथ में पिस्तौल ले रखी थी ।

इस प्रकार लेफ्टिनेन्ट कर्नल मुकेश शर्मा ने नागा विद्रोहियों के साथ प्रति-विद्रोही कार्रवाई में असाधारण साहस, एवं उच्चतम नेतृत्व गुणों का परिचय दिया ।

15. मेजर अनिल कुमार
(आई सी–50280),
8 असम रजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24-6-1996)

8 असम के मेजर अनिल कुमार, असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बोथलंगस के समीप उमरू गांव में असोम कैम्प के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट के होने की एक स्रोत से विशेष सूचना मिलने पर 24/25 जून, 1996 की रात को सामान्य क्षेत्र में सैन्य बल लेकर तेजी से उस ओर चल पड़े । मेजर अनिल कुमार कैम्प के मुख्य पहुंच की सुरक्षा कर रहे भूमिगत विद्रोही संतरियों का सफाया करने के लिए दो जवानों को आगे रखकर अपने दल का नेतृत्व करते हुए रात के अन्धेरे में चुपके-चुपके अंतिम 20 मीटर की दूरी तय करने के लिए आगे बढ़े। मेजर अनिल कुमार ने एक भूमिगत विद्रोही को पूर्णतया आश्चर्यचकित करते हुए उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे दबोच लिया जबकि इनके एक साथी ने उस भूमिगत विद्रोही का हथियार छीन लिया । अपने साथियों से अन्य दो आतंकवादियों पर गोलीबारी करने का आदेश देते हुए उन्होंने उन्हें हताश होकर भागने पर मजबूर कर दिया । उसके बाद मेजर अनिल कुमार पकड़े गए, संतरी और हथियार को वापस कैम्प की सुरक्षा कर रहे दल के स्थान पर ले गए जबकि दोनों पक्षों की ओर से स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की जा रही थी । 25 जून, 1996 को रात लगभग 3 बजकर 45 मिनट पर जब वे कैम्प की तलाशी लेने आगे बढ़े तो 6 आतंकवादियों के एक दल ने उन पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी । मेजर अनिल कुमार ने साहसपूर्वक गोलीबारी का जवाब दिया और कैम्प में शरण लिए हुए आतंकवादियों को वहां से बाहर निकालने के लिए निकटवर्ती पेड़ की ओर लेकर पीछे से उन पर टूट पड़े। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए इन्होंने अपने जवानों को इन आतंकवादियों का मुकाबला करते रहने का निर्देश दिया और अपने दोनों दलों की गोलीबारी का समन्वय करने के लिए निडरतापूर्वक आगे बढ़े । मेजर अनिल कुमार की अनुकरणीय वीरतापूर्ण कार्रवाई के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम के पांच वर्दीधारी सदस्यों का सफाया किया जा सका और तीन को पकड़ लिया गया ।

इस प्रकार मेजर अनिल कुमार ने 5 असमी विद्रोहियों को मारकर तथा 3 को पकड़कर अनुकरणीय नेतृत्व व उच्चतम कोटि की वीरता का परिचय दिया ।

16. महिपाल यादव,
पेटी अफसर,
यू डब्ल्यू- (ए डी), 112853-के,

(मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29-7-1996)

29 जुलाई, 1996 को लगभग 1700 बजे जब भा नौ पो सावित्री पूर्वी तट वाले समुद्र में एक बड़े सामरिक अभ्यास में व्यस्त था, तो पिछली ओर से मर्चेन्ट नेवी के एक टैंकर से तेल लेते समय तेल भरण हौज में लगी नाइलान की रस्सी पोत के स्टैबिलाइजर में उलझ गई । पोत के खुले समुद्र में रूक जाने की संभावना से बचने के लिए होस लाइन को काट दिया गया तथा पोत को तत्काल रोक दिया गया । रस्सी को पोत से छुड़ाने के सभी प्रयत्न बेकार हो गए । सांझ ढलने लगी थी तथा उलझी हुई रस्सी को हटाना आवश्यक हो गया था ताकि पोत जल्दी से जल्दी चल सके । ऐसे में पोत के नीचे से रस्सी को हटाने के लिए गोताखोर भेजने का निर्णय लिया गया ।

पेटी अफसर यादव सर्वप्रथम गोता लगाने के लिए सामने आए क्योंकि उनका विचार था कि अशान्त समुद्र तथा कम होती रोशनी की उस स्थिति में उनका लम्बा अनुभव काम आएगा । पेटी अफसर पोत की बगल में गए और शान्त, संतुलित तथा व्यावसायिक ढंग से अपना कार्य शुरू कर दिया । पोत के हिचकोले खाने और डगमगाने के कारण पैदा हुई कठिन स्थितियों के बावजूद पेटी अफसर यादव अपने काम पर डटे रहे और इन्होंने होज लाइन का सिरा तथा बोया खोज लिया जो कुछ ही समय में ऊपर आ गए जिससे पोत खतरे से बाहर हो गया ।

फिर भी रस्सी को छुड़ाने के इस जटिल, पेचीदा तथा खतरनाक कार्य को करते समय पेटी अफसर यादव जख्मी हो गए जिससे इनकी सांस रुकने लगी और दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई ।

इस प्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट बहादुरी, असाधारण कर्तव्यपरायणता और महान देशभक्ति का परिचय दिया ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 13-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लैफ्टिनेंट जनरल रवि एइपे (आई सी-11566), अ वि से मे, इन्फैंट्री ।
2. लैफ्टिनेंट जनरल चन्द्र शेखर (आई सी-11837), अ वि से मे, इन्फैंट्री ।
3. लैफ्टिनेंट जनरल एस पद्मनाभन (आई सी-11859), अ वि से मे, वि से मे, आर्टिलरी ।
4. लैफ्टिनेंट जनरल हरि मोहन खन्ना (आई सी-12315), अ वि से मे, इन्फैंट्री ।
5. लैफ्टिनेंट जनरल हीरा बल्लभ काला (आई सी-12356), अ वि से मे, शौ. च., इन्फैंट्री ।
6. लैफ्टिनेंट जनरल हरनरिन्द्र सिंह बेदी (आई सी-11558), इन्फैंट्री ।
7. लैफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह संधू (आई सी-11823), कवचित कोर ।
8. लैफ्टिनेंट जनरल सुरजीत सिंह सेठी (आई सी-11825), अ वि से मे, आर्टिलरी ।
9. लैफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ (आई सी-12070), अ वि से मे, आर्टिलरी ।
10. लैफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह सेठी (आई सी-12361), अ वि से मे, आर्टिलरी ।
11. लैफ्टिनेंट जनरल बलदेव सिंह रंधावा (आई सी-12410), अ वि से मे, इन्फैंट्री ।
12. लैफ्टिनेंट जनरल मनजीत सिंह भुल्लर (आई सी-12524), वि से मे, इन्फैंट्री ।
13. लैफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह ढिल्लों (आई सी-12534), यु से मे, इन्फैंट्री ।
14. लैफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार कपूर (आई सी-12793), अ वि से मे, इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियर्स ।
15. लैफ्टिनेंट जनरल तेज पाल सिंह रावत (आई सी-12836), वि से मे, इन्फैंट्री ।
16. लैफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह ग्रेवाल (आई. सी.-13264), अ वि से मे, से मे, वि से मे, इन्फैंट्री ।
17. मेजर जनरल चंदन सिंह नुग्याल (आई सी-12851), उ यु से मे, इन्फैंट्री ।
18. वाइस एडमिरल अवनीश राय टंडन, अ वि से मे, (00421-एफ) ।
19. वाइस एडमिरल अडोल्फ ब्रिट्टो, अ वि से मे, वि से मे, (40143-एच) ।
20. वाइस एडमिरल सबीस्टियन कॉर्नेलियस पिंटो? —
20. वाइस एडमिरल थॉमस कोरियाथा?

सं. 15-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह मेहता (आई सी-13898), अ वि से मे, वि से मे, कवचित कोर।
2. एयर कमोडोर पदमजीत सिंह अहलूवालिया, अ वि से मे, वा मे, वि से मे (11631) फ्लाइंग (पायलट)।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 16-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेंट जनरल रसेल जेकब मोथिकाइ (आई सी-12543), इंजीनियर्स।
2. लेफ्टिनेंट जनरल युवराज कुमार मेहता (आई सी-12803), इंजीनियर्स।
3. लेफ्टिनेंट जनरल रवी कुमार साहनी (आई सी-12992), इन्फैंट्री।
4. लेफ्टिनेंट जनरल अद्दसमिल्ली सेषागिरि राव (आई सी-13385), इन्फैंट्री।
5. लेफ्टिनेंट जनरल धर्मवीर सिंह (आई सी-12552), इलैक्ट्रिकल तथा मकैनिकल इंजी.।
6. लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल चन्द्र विज (आई सी-13710), इन्फैंट्री।
7. मेजर जनरल नरीश सिंह कटोच (आई सी-12846) से.मे.वि.से.मे. और बार इंफैंट्री।
8. मेजर जनरल प्रभाकर श्रीपद मोवक (आई सी-12931), सिग्नल।
9. मेजर जनरल कंडाबि रामस्वामी सम्पथ कुमार (आई सी-13027), वि.से.मे. आर्टि.।
10. मेजर जनरल मोहन आनंद गुरूबक्सनी (आई सी-13633), इंफैंट्री।
11. मेजर जनरल गोपाल कृष्ण दुग्गल (आई सी-14541), वीर चक्र, इंफैंट्री।
12. मेजर जनरल योगेश्वर महन (आई सी-14727), शौ. चक्र, इंफैंट्री।
13. मेजर जनरल दत्तात्रय बालाजी राव शेकटकर (आई-सी-14765), वि.से.मे., इन्फैंट्री।
14. मेजर जनरल अनन्तनारायण नटराजन (आई सी-15464), वि.से.मे., आर्टिलरी।
15. मेजर जनरल गुरबक्श सिंह सिहोटा (आई सी-15471), वी. चक्र. वा. मे., आर्टिलरी।
16. मेजर जनरल नारायण चैटर्जी (आई सी-15543), से.मे., वि.से.मे., आर्टिलरी।
17. मेजर जनरल जगदीश चन्द्र (आई सी-15931), वि.से.मे., सेना सेवा कोर।
18. मेजर जनरल गुरदेव सिंह औक्टेनिया (एम आर-1890), सेना चिकित्सा कोर।
19. ब्रिगेडियर नरेन्द्र पाल ज्योति (आई सी-16417), सिग्नल।
20. ब्रिगेडियर मोहिन्दर सिंह (आई सी-16838), इन्फैंट्री।
21. ब्रिगेडियर अमरीक सिंह बाहिया (आई सी-17576), इन्फैंट्री।
22. ब्रिगेडियर मोहिन्दर पाल सिंह (आई सी-17589), कवचित कोर।
23. ब्रिगेडियर देवराज सिंह (आई सी-17594), इन्फैंट्री।
24. ब्रिगेडियर मोहन चन्द्र भंडारी (आई सी-17615), इन्फैंट्री।
25. ब्रिगेडियर कमल कृष्ण खन्ना (आई सी-17640), इन्फैंट्री।
26. ब्रिगेडियर मदन गोपाल (आई सी-17733), इन्फैंट्री।
27. ब्रिगेडियर परमेन्द्र कुमार सिंह (आई सी-19050), आर्टिलरी।
28. ब्रिगेडियर इन्दरजीत सिंह (आई सी-22575), कीर्ति चक्र, वि से मे, इन्फैंट्री।
29. सर्जन वाईस एडमिरल चन्द्रशेखर दुरइस्वामी शशी कुमार, 75579-डब्ल्यू।
30. रियर एडमिरल यशवंत प्रसाद, वि से मे (00709-के)।
31. रियर एडमिरल सुरेश चन्द्र मेहता (00727-ए)।
32. रियर एडमिरल प्रबीर कुमार चक्रवर्ती, (40189-एन)।
33. कमोडोर अरूण कुमार कपूर, वि से मे (00638-जेड)।
34. कमोडोर सतीजेंद्र नाथ (00641-आर)।
35. कमोडोर अंबाट धाक्को अयप्पन, (60144-आर)।
36. एयर मार्शल विनोद चन्द्र धाली, वि से मे, (6590), प्रशासन।
37. एयर मार्शल शान्ति स्वरूप गुप्ता, वि से मे (6805), वैमानिकी इंजीनियरिंग (मैकेनिकल)।

38. एयर वाईस मार्शल श्री पेरूमबुदुर राघवन, वि से मे, (6710), संभारिकी ।

39. एयर वाईस मार्शल सुखइन्दर सिंह बिन्दरा, वा मे, (6863), फ्लाइंग (पायलट) ।

40. एयर वाईस मार्शल माईकल मैकमहोन, वा मे, (7399), फ्लाइंग (पायलट) ।

41. एयर कमोडोर अमलेन्द्र नाथ सेन (8395), फ्लाइंग (पायलट) ।

42. एयर कमोडोर पीटर कीथ पिन्टो (8419), फ्लाइंग (पायलट) ।

43. एयर कमोडोर आईवर पर्सिवल अलेक्जन्डर (8430), फ्लाइंग (पायलट) ।

44. एयर कमोडोर प्रमोद कुमार मिश्र (8842), शिक्षा।

45. एयर कमोडोर मोहिन्दरजीत सिंह सिन्धा वा मे, (9711), फ्लाइंग (पायलट) ।

46. एयर कमोडोर सुभाष भोजवानी, वि से मे (9734), फ्लाइंग (पायलट) ।

47. जी ओ-278-एफ मुख्य अभियन्ता राम प्रकाश, शौर्य चक्र, बी. आर. ओ. ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 17-प्रेज/97—राष्ट्रपति, ब्रिगेडियर तेज स्वरूप पाठक (आई सी-16844), यु से मे, इन्फैंट्री को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 18-प्रेज/97—राष्ट्रपति, कमोडोर तिलकमारी रामाचन्द्रा चार्यलु (00962-के) को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 19-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर जनरल सर्व जोत सिंह सहगल (आई सी-132344) वि मे, आर्टिलरी ।

2. मेजर जनरल आदेन्द्र कुमार शर्मा (आई सी-13594), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

3. मेजर जनरल सुरेन्द्र शाह (आई सी-13687), वी चक्र, इन्फैंट्री ।

4. मेजर जनरल महेन्द्र सिंह चन्दोक (आई सी-14058), सेना सेवा कोर ।

5. मेजर जनरल जितेन्द्र सिंह (आई सी-14382), इन्फैंट्री ।

6. मेजर जनरल धर्म प्रकाश सहगल (आई सी-15403), सिगनल्स ।

7. मेजर जनरल रणजीत सिंह नागरा (आई सी-15492), आर्टिलरी ।

8. मेजर जनरल विसाल प्रकाश रामाराव आई सी-16045), आर्टिलरी ।

9. मेजर जनरल मंजीत सिंह संधू (आई सी-16130), कवचित कोर ।

10. मेजर जनरल सर्वजीत सिंह चहल (आई सी-16240), इन्फैंट्री ।

11. मेजर जनरल अमरजीत सिंह कलेर (आई सी-16263), कवचित कोर ।

12. मेजर जनरल परिन्द पाल सिंह बिन्द्रा (आई सी-18964), इन्फैंट्री ।

13. मेजर जनरल जितेन्द नाथ फक्कन (एम आर-01042), सेना चिकित्सा कोर ।

14. ब्रिगेडियर धरमजीत सिंह (आई सी-14011), इन्फैंट्री ।

15. ब्रिगेडियर जरनेल सिंह अल्लाल (आई सी-14568), से मे, इन्फैंट्री ।

16. ब्रिगेडियर समन्दर सिंह चौहान (आई सी-14894), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

17. ब्रिगेडियर इन्द्रनाथ भाटिया (आई सी-15434), सिगनल्स ।

18. ब्रिगेडियर अरूण कुमार मिश्र (आई सी-16544), इन्फैंट्री ।

19. ब्रिगेडियर योगेश कुमार सक्सेना (आई सी-15807), इंजीनियर्स ।

20. ब्रिगेडियर कमल नयन ओन्नि (आई सी-15808), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

21. ब्रिगेडियर पत्तम मडम मोहनदास (आई सी-15821), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

22. ब्रिगेडियर प्रशान्त कुमार घोष (आई सी-15842), वी चक्र, सिगनल्स ।

23. ब्रिगेडियर ललित मलहोत्रा (आई सी-16243), आसूचना कोर ।

24. ब्रिगेडियर विनायक गोपाल पटनकर (आई सी-16313), आर्टिलरी ।

25. ब्रिगेडियर सोहल सरबजीत सिंह (आई सी-16330), से मे, इन्फैंट्री ।

26. ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह बेदवान (आई सी-16615), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

27. ब्रिगेडियर मृदुल दत्ता (आई सी-16883), इन्फैंट्री ।

28. ब्रिगेडियर प्रदिप मेहता (आई सी-17120), इंजीनियर्स ।

29. ब्रिगेडियर निर्भय शर्मा (आई सी-17244), इन्फैंट्री ।

30. ब्रिगेडियर बलदेव सिंह ढिल्लन (आई सी-17248), इन्फैंट्री ।

31. ब्रिगेडियर बलबीर सिंह यादव (आई सी-17587), इन्फैंट्री ।

32. ब्रिगेडियर ओ पी नन्दरजोग (आई सी-19002), इन्फैंट्री ।

33. ब्रिगेडियर अशिश कुमार दत्त (आई सी-19006), कवचित कोर ।

34. ब्रिगेडियर हरदेव सिंह लिड्डर (आई सी-19009), यु से मे, इन्फैंट्री ।

35. ब्रिगेडियर मुखबीर सिंह रोठी (आई सी-22571), इन्फैंट्री ।

36. ब्रिगेडियर सबास्तियन थोमस मणिमाला (आई सी-26046), आसूचना कोर ।

37. ब्रिगेडियर मनालिल विटिल गंगाधरन (आई सी-26583), इन्फैंट्री ।

38. ब्रिगेडियर कश्यप सुन्दरम शिवाकुमार (आई सी-28605), इन्फैंट्री ।

39. ब्रिगेडियर शेखर कुमार सेन (टी सी-31473), सेना पोस्टल सेवा ।

40. ब्रिगेडियर अंजनी कुमार श्रीवास्तव (एम आर-02397), सेना चिकित्सा कोर ।

41. कर्नल दीपक आनंद (आई सी-19983), मराठा लाईट इन्फैंट्री ।

42. कर्नल दिलीप यादव (आई सी-23191), आर्मी एविएशन (आर्टिलरी) ।

43. कर्नल जगदीश मल्होत्रा (आई सी-23398), सिगनल्स ।

44. कर्नल कुलदीप सिंह (आई सी-24673), राजपूताना राइफल्स ।

45. कर्नल मोहन कृष्ण चौहान (आई सी-26599), मद्रास ।

46. कर्नल परमेश्वर कुमार (आई सी-27262), आर्टिलरी ।

47. कर्नल (डा.) श्रीनिवास दीक्षित (आई सी-27555), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

48. कर्नल भूपेन्द्र पाल सिंह खाती (आई सी-27702), पैरा ।

49. कर्नल नीलाद्रि शंकर मुखर्जी (आई सी-29165), से मे, बिहार ।

50. कर्नल भंवर लाल पूनिया (आई सी-30386), गार्ड्स ।

51. कर्नल संजय वामन भिडे (आई सी-30697), पैरा ।

52. कर्नल अशोक सिंह (आई सी-30723), गार्ड्स ।

53. कर्नल कोम्माराजु रामचन्द्र राव (आई सी-30897), सेना आयुध कोर ।

54. कर्नल अश्विनी कुमार बक्शी (आई सी-30997), बिहार ।

55. कर्नल मुथाना बालाचंद्र चन्गप्पा (आई सी-32003), गोरखा राइफल्स ।

56. कर्नल सर्वजीत सिंह बुटालिया (आई सी-32283), कवचित कोर ।

57. कर्नल विजय कुमार (आई सी-32551), गढ़वाल राइफल्स ।

58. कर्नल राज कुमार चोहान (आई सी-32857), जाट ।

59. कर्नल मिठा लोकेश चान्द्र (आई सी-32941), ग्रेनेडियर्स ।

60. कर्नल जूड लारेंस क्रूज (आई सी-33543), से मे, पैरा ।

61. कर्नल मैथ्यु, मैथ्यु पोनलापाजिसाथील आई सी-36138), सिख लाइट इन्फट्री ।

62. कर्नल वेद प्रकाश शर्मा (वी-291), पशु चिकित्सा कोर ।

63. कर्नल मदन लाल चावला (एम आर-2068), सेना चिकित्सा कोर ।

64. कर्नल परमेश्वर सुंदर राजन अय्यर (एम आर-2440), सेना चिकित्सा कोर ।

65. कर्नल (श्रीमती) अंजू मनचन्दा (एम आर-04353), सेना चिकित्सा कोर ।

66. कर्नल (कुमारी) मारथीन मेरी लिम्बो (एन आर-13746), सेना परिचर्या सेवा ।

67. कर्नल बी चन्द्रशेखर (आई सी-23545), सिगनल्स, डी. आर. डी. ओ ।

68. कर्नल रमेश खोसला (आई सी-17079), सिगनल्स, डी पी. एंड एस ।

69. लेफ्टिनेंट कर्नल ओंकार नाथ सक्सेना (आई सी-12147), राजपूताना राइफल्स ।

70. लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेन्द्रजीत सिंह ग्रेवाल (आई सी-33049), आसूचना कोर ।

71. लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर युधिष्ठिर सिंह पंवार (आई सी-34769), पैरा ।

72. लेफ्टिनेंट कर्नल चन्द्र प्रकाश राय (एम आर-02664), सेना चिकित्सा कोर ।

73. लेफ्टिनेंट कर्नल अरूण कुमार (एम आर-3234), सेना चिकित्सा कोर ।

74. लेफ्टिनेंट कर्नल राधे श्याम प्रसाद (एम आर-3407), सेना चिकित्सा कोर ।

75. लेफ्टिनेंट कर्नल (कुमारी) रीटा पिटरस (एन आर-15020), सेना परिचर्या सेवा ।

76. मेजर अवनिन्द्र जोशी (आई सी-47607), से मे, गोरखा राइफल्स ।

77. रियर एडमिरल अशोक कुमार कालड़ा (50197-एच) ।

78. कमोडोर नरसिम्हन वेणुगोपाल (00747-वाई) ।

79. कमोडोर मेलरीपुरम कृष्णन् कल्याण कृष्णन् (40-302 डब्ल्यू) ।

80. कमोडोर दिलीप देशपांडे (40385-एच) ।

81. कमोडोर सोमीर सुशील चन्द्र मुखर्जी (40430-के)।

82. कमोडोर ध्रुव राज आचार्य (60175-के) ।

83. कमोडोर इन्द्र कुमार मनूजा (01131-डब्ल्यू) ।

84. कैप्टन आनंद यशवंत कल सकर (01532-एफ) ।

85. कैप्टन राघवन रविचन्द्र (40499-टी) ।

86. कैप्टन दिलीप कुमार महापात्र (70173-एच) ।

87. सर्जन कमांडर विनोद कुमार सक्सेना (75153-ए) ।

88. कमांडर आनंद गोपाल अय्यर (02051-के) ।

89. कमांडर सुनील एडविन लॅविस (02110-डब्ल्यू) ।

90. कमांडर नारायनन् कृष्णस्वामी सम्पथ (50404-बी)

91. पृथन विट्टिल उन्नीकृष्णन्, एम सी ए (एस ई) (1) (097139-वाई) ।

92. पनकपरम् विनसैन्ट फ्रांसिस, एम सी पी ओ (एम यू एस) (1) (042834-ए) ।

93. एयर कमोडोर रमेश चन्द्र महाडीक (8570) प्रशासन ।

94. एयर कमोडोर सुधीर मोहन सेठी (9479) फ्लाइंग (पायलट) ।

95. एयर कमोडोर सतीश चन्द्र लूथरा (12899) चिकित्सा ।

96. ग्रुप कैप्टन रघुबीर चन्द गोयल (8512), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स) ।

97. ग्रुप कैप्टन विपिन चानना (10960) फ्लाइंग (पायलट) ।

98. ग्रुप कैप्टन सेल्वम कुलन्दयसामी जयराजन (11695), संभारिकी ।

99. ग्रुप कैप्टन हरेन्द्रजीत सिंह गायकल (11730), प्रशासन ।

100. ग्रुप कैप्टन जितेन्द्र सिंह ठाकुर (12012) फ्लाइंग (पायलट) ।

101. ग्रुप कैप्टन परमिन्दर पाल सिंह रन्धू (12644), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ।

102. ग्रुप कैप्टन सुमित मुकर्जी, वी. एम. (12925) फ्लाइंग (पायलट) ।

103. ग्रुप कैप्टन सुदर्शन स्वामीनाथन् (10344), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स) ।

104. ग्रुप कैप्टन गजिन्दर पाल सिंह दुआ (13306) एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स) ।

105. ग्रुप कैप्टन राम रतन भारद्वाज (13337) एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ।

106. ग्रुप कैप्टन प्रमोद वसंत आठवले (13472), एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स) ।

107. विंग कमांडर जलबीरा सिंह बापाराय (13108) संभारिकी ।

108. विंग कमांडर नरेश चन्द्र शर्मा (13586), फ्लाइंग (पायलट) ।

109. विंग कमांडर अजय कुमार चौधरी (13657) प्रशासन ।

110. विंग कमांडर देवेन्द्र सिंह (14284) फ्लाइंग (पायलट) ।

111. विंग कमांडर अनिल कुमार श्रीवास्तव (14698) प्रशासन ।

112. विंग कमांडर भास्करन नायर उन्नीकृष्णन् (15004) फ्लाइंग (पायलट) ।

113. विंग कमांडर कोलार विश्वेश्वरा वेंकटेश अय्यर (15068) एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ।

114. विंग कमांडर कुलदीप मलिक, वा मे (15181) फ्लाइंग (पायलट) ।

115. विंग कमांडर सतीश शर्मा (11656) फ्लाइंग (पायलट) सेवानिवृत्त ।

116. स्क्वाड्रन लीडर अतुल कुमार सिंह (17041) प्रशासन ।

117. स्क्वाड्रन लीडर सोमदेव (17434) एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) ।

118. स्क्वाड्रन लीडर विश्वजित मधुकर ओवर (19041) एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग (इले.)।

119. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुख्त्यार सिंह सैनी (18968) एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इले.)।

120. 233273-के जूनियर वारंट अफसर श्रीपति देवनाथ कारपेंटर/रिगर।

121. जी ओ-420-ए उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सैलेन्द्रा नाथ मंडल, बी आर ओ।

122. जी ओ-1368-पी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1, आर कनिका राज, बी आर ओ।

123. जी ओ-338-एल अधीक्षक अभियंता सिविल, एस जी, मदन गोपाल अश्विनी कुमार (सेवानिवृत्त) बी आर ओ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 20-प्रेज/97—राष्ट्रपति, कर्नल अरांकलि मुदला गिरि राव प्रकाश (आई सी-33183) सं. मे. ग्रेनेडियर्स को उनकी असाधारण साहस के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 21-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्त्तव्यपरायणता अथवा साहस के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कर्नल स्टैनले साम्युल (आई सी-30713), गोरखा राइफल्स।
2. कर्नल प्रीतम सिंह विष्ट (आई सी-36046), पंजाब।
3. मेजर बिपिन पाल भल्ला (आई सी-35311), असम रेजिमेंट।
4. मेजर जोध सिंह (आई सी-37946), ग्रेनेडियर्स।
5. मेजर पी वेनुगोपाल (आई सी-37979), आर्टिलरी।
6. मेजर पांडियन चन्द्रा शेखर (आई सी-37711), आर्टिलरी।
7. मेजर राकेश शर्मा (आई सी-38138), आर्टिलरी।
8. मेजर आलोक माथुर (आई सी-38575), कवचित कोर।
9. मेजर मनजीत मेहता (आई सी-38673), जम्मू और कश्मीर राइफल्स।
10. मेजर बिमन साहा (आई सी-39023), सिग्नल्स।
11. मेजर दिगम्बर सिंह पोखरिया (आई सी-42907), गार्ड्स।
12. मेजर दिबेंदु मुकर्जी (आई सी-43454), मराठा लाइट इन्फैंट्री।
13. मेजर संजय प्रधान (आई सी-50271), इंजीनियर्स।
14. मेजर रघुनाथ सिंह शेखावत (आई सी-50612), ग्रेनेडियर्स।
15. मेजर सोमेश काले (आई सी-48605), कुमाऊं।
16. मेजर नरेश कुमार सिंह (आई सी-37215), गार्ड्स।
17. मेजर चन्दन सिंह बिष्ट (आई सी-35544), आसूचना कोर।
18. मेजर सतिन्दर पाल सिंह परहार (आई सी-41538), बिहार।
19. मेजर बकाली खाली इब्राहिम (आई सी-38542), मराठा लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरांत)।
20. मेजर विकास यादव (आई सी-45068), जाट (मरणोपरांत)।
21. मेजर वंलाला विजया भास्कर (आई सी-46216), मद्रास।
22. मेजर आशुतोष कुमार (आई सी-50353), जाट (मरणोपरांत)।
23. कैप्टन हेमंत कुमार सिन्हा (एस एस-35769), पंजाब।
24. कैप्टन गुरिन्द्र सिंह (आई सी-43760), इंजीनियर्स।
25. कैप्टन रघुराज सिंह (आई सी-46505), राजपूताना राइफल्स।
26. कैप्टन रनजीत रतन कोठवाल (आई सी-49065), जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री।
27. कैप्टन थंगजाम टिकेन्द्रा सिंह (आई सी-50367), ग्रेनेडियर्स।
28. कैप्टन नवरतन सिंह (आई सी-51642), सिख लाइट इन्फैंट्री।
29. कैप्टन संजीव सिंह (आई सी-51751), गोरखा राइफल्स।
30. कैप्टन दीपांशु सिन्हा (आई सी-52468), असम रेजिमेंट।
31. कैप्टन सुखिन्दर सिंह गरचा (आई सी-52498), मराठा लाइट इन्फैंट्री।
32. कैप्टन सुनील श्योराण (आई सी-51474), पैरा।

33. कैप्टन रोहित सिंघल (आई सी-47395), मराठा लाइट इन्फैंट्री ।

34. कैप्टन सिरोही रघुविन्दर सिंह (आई सी-48765), राजपूताना राइफल्स ।

35. कैप्टन अनिल कुमार पुनिया (आई सी-52049), गोरखा राइफल्स ।

36. लेफ्टिनेंट आलोक जैन (आई सी-54279), विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर्स ।

37. लेफ्टिनेंट मोहम्मद सुहेल खान (एस एस-36216), ई एम ई ।

38. सेकेंड लेफ्टिनेंट विनोद कुमार (आई सी-52667), इंजीनियर्स ।

39. सेकेंड लेफ्टिनेंट सतिन्दर पाल सिंह संधु (टी ए-42228) प्रादेशिक सेना ।

40. सेकेंड लेफ्टिनेंट पुनीत कौशल (आई सी-52738) मराठा लाइट इन्फैंट्री ।

41. सेकेंड लेफ्टिनेंट सिसिर कुमार छेत्री (एस एस-35821), गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत) ।

42. जे सी-151723 सूबेदार परधान सिंह, सिख लाइट इन्फैंट्री ।

43. जे सी-163723 सूबेदार किशोर रत्ना मणि राय, गोरखा राइफल्स ।

44. जे सी-164966 सूबेदार मोहिन्दर सिंह सुंड, राजपूत ।

45. जे सी-205302 सूबेदार जगदीश लाल, जम्मू तथा कश्मीर राइफल्स ।

46. जे सी-412166 नायब सूबेदार अपुलापल्ली मोहम्मद, पैरा ।

47. जे सी-418208 नायब सूबेदार दल बहादुर गुरूंग, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री ।

48. जे सी-2000610 नायब सूबेदार साहिब सिंह, असम राइफल्स (मरणोपरांत) ।

49. जे सी-2300125 नायब सूबेदार केशर सिंह रावत, असम राइफल्स ।

50. जे सी-607009 नायब सूबेदार टेका बहादुर थापा, गोरखा राइफल्स ।

51. जे सी-629107 नायब सूबेदार रामेश्वर छेत्री, गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त)

52. जे सी-2670610 हवलदार धरमवीर सिंह, ग्रेनेडियर्स

53. 4458008 हवलदार गुरमुख सिंह, सिख लाइट इन्फैंट्री ।

54. 13739913 हवलदार शिव कुमार, जम्मू तथा कश्मीर राइफल्स ।

55. 13679161 हवलदार भूपाल सिंह, गार्ड्स ।

56. 2672365 हवलदार राजेन्द्र सिंह, ग्रेनेडियर्स ।

57. 14462336 हवलदार ए गोविन्द राव, आर्टिलरी (मरणोपरान्त) ।

58. 2672587 हवलदार शंकर सिंह शेखावत, ग्रेनेडियर्स ।

59. 2673053 हवलदार के. एस. के. दरयाव सिंह, ग्रेनेडियर्स ।

60. 2766783 हवलदार गणपति भाऊ जाधव, मराठा लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरान्त) ।

61. 4351913 हवलदार भाशांत लम्कांश, असम रेजिमेन्ट ।

62. 2674348 नायक महेश सिंह भदौरिया, ग्रेनेडियर्स ।

63. 2675487 नायक राम पाल, ग्रेनेडियर्स ।

64. 4259415 नायक बुधवा टोप्पो, बिहार ।

65. 2779641 नायक मस्के विनायक कृष्णाजी, मराठा लाइट इन्फैंट्री ।

66. 2981991 नायक राम पाल सिंह, महार (मरणोपरान्त) ।

67. 2586720 नायक विनायन आर. मद्रास, (मरणोपरान्त) ।

68. 2476645 नायक रणजीत सिंह, पैरा ।

69. 2879395 लांस नायक राजू सिंह, राजपूताना राइफल्स (मरणोपरान्त) ।

70. 3175782 लांस नायक रिषीपाल, जाट (मरणोपरान्त) ।

71. 3177263 लांस नायक सुरेन्द्रा सिंह, जाट (मरणोपरान्त) ।

72. 3176185 लांस नायक बंसीधर यादव, जाट (मरणोपरान्त) ।

73. 13616415 लांस नायक राजन सिंह मेहरा पैरा ।

74. 3185765 सिपाही विनोद कुमार, जाट (मरणोपरान्त) ।

75. 4559707 सिपाही गायकवाड़ श्यामराव भीमराव, महार (मरणोपरान्त) ।

76. 3390834 सिपाही गुरलेक सिंह, सिख रेजिमेन्ट (मरणोपरान्त) ।

77. 987056 सिपाही बीरबल राम, राजपूत ।

78. 3182844 सिपाही योधवीर सिंह, इन्फेन्ट्री ।

79. 6482341 सिपाही सुरेना सिंह, सेना कोर, (एटी)

80. 4181617 सिपाही शिव राज सिंह, कुमाऊं (मरणोपरान्त) ।

81. 2592279 सिपाही ए फ्रांसिस सुरेश कुमार, मद्रास (मरणोपरान्त) ।

82. 2791873 सिपाही पाटिल सुभाष पुंडलिक, मराठा लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरान्त) ।

83. 3185381 सिपाही धर्मवीर सिंह, जाट ।

84. 4356122 सिपाही पावा सिंह कनवर, असम रेजिमेन्ट ।

85. 5451543 राइफलमैन परवेश वाले, गोरखा राइफल्स

86. 4066786 राइफलमैन हुकुम सिंह, इन्फेन्ट्री (मरणोपरान्त) ।

87. 2002974 राइफलमैन यशपाल सिंह, असम राइफल्स (मरणोपरान्त) ।

88. 9418248 राफलमैन इन्द्र कुमार राय, गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त) ।

89. 9420530 राइफलमैन उमेश राय, गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त) ।

90. 9087652 राइफलमैन अब्दुल रहमान, जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (मरणोपरान्त) ।

91. 13619691 पैराट्रूपर असित सुब्बा, पैरा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 22-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्त्तव्यपरायणता अथवा साहस के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ग्रुप कैप्टन शंकर मणी, वि से मे, (13596) फ्लाइंग (पायलट) ।

2. विंग कमांडर राकेश कुमार चौली (14083) फ्लाइंग (पायलट) ।

3. विंग कमांडर रवी कान्त शर्मा (14088) फ्लाइंग (पायलट) ।

4. विंग कमांडर मुथुमणिकम माथेस्वरन् (14104) फ्लाइंग (पायलट) ।

5. विंग कमांडर राहुल भर, वी.च. (14561) फ्लाइंग (पायलट) ।

6 विंग कमांडर [illegible] सिंह (14676), फ्लाइंग (पायलट) ।

7. विंग कमांडर अरूण पुरुषोत्तम गरुड़ (14692) फ्लाइंग (पायलट) ।

8. विंग कमांडर चोखना प्रसाद रेड्डी (15006) फ्लाइंग (पायलट) ।

9. विंग कमांडर कुलदीप सिंह भारद्वाज (15207) फ्लाइंग (पायलट)

10. विंग कमांडर जानकीराम बालासुब्रमणियन, वा. च. (15558) फ्लाइंग (पायलट) ।

11. स्क्वाड्रन लीडर रोहित शर्मा (16029) फ्लाइंग (पायलट) ।

12. स्क्वाड्रन लीडर प्रभामोहन मोहनदास वालिगा (16-817) फ्लाइंग (पायलट) ।

13. स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर (13871) लेखा/पैरा जंपिंग इंस्ट्रक्टर ।

14. स्क्वाड्रन लीडर राजीव शर्मा (17004) फ्लाइंग (पायलट) ।

15. फ्लाइट लैफ्टिनेन्ट समीर जय पॅडसे (20495) फ्लाइंग (पायलट) ।

16. फ्लाइट लैफ्टिनेन्ट सुनिल कुमार कश्यप (20991) फ्लाइंग (पायलट) ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं. 23-प्रेज/97—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्त्तव्यपरायणता अथवा साहस के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कैप्टन राजीव डमढेरे (01397-जेड) ।

2. कमांडर रोहित कौशिक (01832-एन) ।

3. कमांडर अनूप कुमार दिक्षित (02180-आर) ।

4. कमांडर विविकरा राव सिम्हाचलम पडाला (40771-के) ।

5. कमांडर (एस डी डब्ल्यू) रणजीत सिंह बन्याल (89043-डब्ल्यू) ।

6. कार्यवाहक कमांडर अरूण कुमार सिन्हा (02338-एन) ।

7. लैफ्टिनेंट कमांडर विनीत कुमार शुक्ला (02984-एफ) ।

8. लेफ्टिनेन्ट कमांडर प्रदीप कुमार राजाराम (50685-टी)।

9. लेफ्टिनेन्ट संजय श्रीकान्त चिटनिस (03258-पी)।

10. लेफ्टिनेन्ट साइमन मथाई (03603-एन)।

11. उदयराज रविचन्द्रन, एम सी ई आर ए-2 (185095-वाई)।

12. कुलदीप सिंह कटोच, एल एस (क्यू ए) 1 (ए सी डी) (113785-बी)।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी, 1997

सं० 4/1/3/सी०ओ०डी०/96—श्री भानु प्रकाश मिर्धा को 26 फरवरी, 1997 से वर्ष 1996-97 के लिए विभागों से संबद्ध रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

बी० एन० गौड़,
निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 1997

संकल्प

सं० आर-11014/8/94-सी० पी० सी०—इस विभाग के दिनांक 20 मार्च, 1996 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में केन्द्रीय सहकारिता परिषद के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता है :—

(क) संसद सदस्य

1. श्री के० पी० सिंह देव, संसद सदस्य (लोक सभा)। — सदस्य

2. श्री एन० डेनिस, संसद सदस्य (लोक सभा)। — सदस्य

3. डा० अशोक मित्रा, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य

(ख) गैर-सरकारी

(1) श्री कुलवन्त राय वर्मा, सुपुत्र श्री मन्नू राम वर्मा, गांव 59 आर०बी०, कुम्हार वाले, डाक, मंगवाले, (56 आर० बी०), जिला, श्रीगंगानगर, राजस्थान। — सदस्य

(2) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, आरा-बक्सर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, आरा, जिला—भोजपुर, बिहार। — सदस्य

(3) डा० उग्र मोहन झा, प्रोफेसर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय और निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, भागलपुर। — सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की मूल प्रति सहित इसकी प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

आदेश किया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मोहन कान्दा
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1997

संकल्प

सं० एफ० 6-4/94-यू० 3—जबकि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की नियमावली तथा विनियमों के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 4 जुलाई, 1995 के संकल्प संख्या एफ० 6-4/94-यू०-3 के द्वारा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी का पुनर्गठन किया था।

अब केन्द्रीय सरकार दिनांक 4 जुलाई, 1995 के सरकारी संकल्प संख्या एफ 6-4/94-यू-3 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त संकल्प में 3(ख) (i) में "केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत भारतीय विश्वविद्यालयों के छः कुलपति" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

3(ख) (i) (2) प्रो० एस० गोपाल,
कुलपति मैंगलौर विश्वविद्यालय
मैंगलौर—574199.

3(ख) (i) (5) प्रो० एम० वाई० कादरी,
कुलपति,
काश्मीर विश्वविद्यालय
हजरतबल, श्रीनगर—190006.

नवेद मसूद,
संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 1997

सं० क्यू—16012/2/89—ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०)— जबकि दिनांक 28 नवम्बर, 1994 की श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०—16012/2/89— ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०) के तहत पुनर्गठित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का संघटन आम जनता की सूचनार्थ अधिसूचित किया गया था। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(i) के अनुसरण से, भारत सरकार श्री सनत मेहता के स्थान पर डा० एंटनी राज एस० जे० को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है और निम्नलिखित परिवर्तन अधिसूचित किए जाते हैं :—

विद्यमान प्रविष्टि अर्थात् :

1. श्री सनत मेहता,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,
श्रम साधना रावपुरा, बड़ोदरा,
(गुजरात)।

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

1. डा० एंटनी राज एस० जे०,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,
कस्तूरी III ए० एम०, पी० टी० सी० पोस्ट,
पेरुगुडी, मदुरै—625022,
तमिलनाडु।

गोपाल सिंह,
अवर सचिव

3—491GI/96

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 1997

सं० डी० जी० ई० टी०—19(1)/96—सी० डी०—भारत के राजपत्र भाग—I, खण्ड—1 में प्रकाशित दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प सं० टी० आर०/ई० पी०—24/56 में आंशिक संशोधन करके दिनांक 19 अक्तूबर, 1996 के संकल्प संख्या डी० जी० ई० टी०—19(1)/96—सी० डी० श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) भारत सरकार के पैरा 5 के उप-पैरा (ई०) से (के) के अनुसरण में तथा श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), भारत सरकार के दिनांक 16 अप्रैल, 1993 की अधिसूचना सं० डी० जी० ई० टी०—19(21)/92—सी० डी० के अधिक्रमण में निम्नलिखित व्यक्तियों को विभिन्न संगठन, निकायों इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से 16 अक्तूबर, 1996 से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद हेतु नामित किया गया है।

क्रम सं०	सदस्य का नाम	जिस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1	2	3
(क) नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि		
1.	श्री पी० के० वर्मा	भारतीय नियोक्ता संघ।
2.	डा० पी० एन० भगवती	भारतीय उद्योग महासंघ (सी० आई० आई०)।
3.	डा० सुश्री एन० हंम्सा	अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (ए० आई० ओ० ई०)।
(ख) कामगार संगठन के प्रतिनिधि		
4.	श्री आर० ए० मित्तल	हिंद मजदूर सभा (एच० एम० एस०)।
5.	श्री गोकुलानंद जीवा	भारतीय मजदूर संघ (बी० एम० एस०)।
6.	श्री डी० के० सिंह	भारतीय राष्ट्रीय व्यापार यूनियन कांग्रेस (आई० एन० टी० यू० सी०)।
(ग) विशेष निकायों के प्रतिनिधि		
7.	श्री के० एस० मादेश्वरी	दिल्ली उत्पादकता परिषद (डी० पी० सी०)।
8.	श्री जे० एस० नैन	अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई० ए० एम० आर०)।

1	2	3
9.	श्री ए० पी० शर्मा	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०)
10.	श्री डी० के० शर्मा	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए० आई० सी० टी० ई०)।
(घ) विशेषज्ञ		
11.	श्री एस० पी० सोमन	स्किलटेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट–कोची।
(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि		
12.	श्री आर० ए० सीताराम	अनुसूचित जाति।
13.	श्री ए० सिंह लिंट	अनुसूचित जनजाति।
(च) अखिल भारतीय महिला संगठन के प्रतिनिधि		
14.	डा० श्रीमती उमा तुली	राष्ट्रीय महिला आयोग।

कृष्णा शर्मा,
अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1997

सं० फा० 11013/2/97-आई० ई० एस०—भारतीय सांख्यिकी सेवा में ग्रेड–4 की रिक्तियों को भरने के लिए 1997 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस मे बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मालावी, जेरे तथा इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1997 को 21 वर्ष की होनी चाहिए किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1969 से पहले और 1 जनवरी, 1976 के बाद का न हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(2) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(3) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(4) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1997 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त

हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1997 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(5) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशनप्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1997 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर, बर्खास्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1997 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं तथा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(6) आपतकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 1997 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(7) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 1997 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष तक।

(8) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, अधिकतम तीन वर्ष तक।

टिप्पणी 1: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक, (सिविल सेवा तथा पदों में पुनर्रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी 2: नियम 5 (ख) (2) से 5(ख) (8) के अन्तर्गत आने वाले वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध नहीं हैं यदि उन्होंने आयु छूट प्राप्त करने के बाद सिविल क्षेत्र में कोई सरकारी नौकरी पहले से ही ले ली है, तो वे आयु सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

यद्यपि उन भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने केन्द्र सरकार के किसी सिविल पद में नियमित रूप से पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, को सरकार के किसी अन्य उच्चतर पद अथवा सेवा में रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली आयु में छूट का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त है।

टिप्पणी 3: अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 5(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिकों आदि की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी।

6. परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम, द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं की सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र सहित डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणी 1: यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उस परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने

दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2: विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी 3: जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

8. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. किसी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा, तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. जिस उम्मीदवार ने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया हो, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख में किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया हो, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के संबंध में किन्हीं अन्य अनियमित, अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर-पुस्तिकाओं में असंगत बातें लिखी हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को भेजे गए परीक्षा की अनुमति विषयक प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अवप्रेरित करने का प्रयास किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से
अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है,

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो; और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों, इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग योग्य समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है।

(2) किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक स्तर में छूट देकर आयोग द्वारा उनकी अनुशंसा की जा सकती है बशर्ते कि ये उम्मीदवार सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिस उम्मीदवार की इस उप नियम [illegible] द्वारा अनुशंसा की हो, उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा तथा आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

15. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

16. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा कराई जा सकती है।

टिप्पणी :— कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, उसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट–3 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकता के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

17. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबन्ध किया हो, जिसका पहले जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है

तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

18. इस परीक्षा के माध्यम से जिस सेवा के सम्बंध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।

एस० नायक,
उप आर्थिक सलाहकार

परिशिष्ट—1

परीक्षा की योजना

खण्ड—1

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी ।

भाग 1—नीचे दिखाए गए विषयों में एक लिखित परीक्षा जिसके पूर्णांक 900 होंगे।

भाग 2—आयोग द्वारा जिस उम्मीदवार को बुलाया जाता है उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 250 होंगे।

भाग—1

भाग—1 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	विषय	कोड सं०	अधिकतम अंक	दिया गया समय
	भारतीय सांख्यिकीय सेवा			
1.	सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3.	सांख्यिकी-I	21	200	3 घंटे
4.	सांख्यिकी-II	22	200	3 घंटे
5.	सांख्यिकी-III	23	200	3 घंटे

नोट :—परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम का विवरण नीचे खण्ड-2 में दिए गए हैं ।

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र परम्परागत (निबन्ध) प्रकार के होंगे ।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर, अंग्रेजी में लिखने चाहिए । प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. कम से कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा ।

9. प्रश्न-पत्रों में जहां आवश्यक हो तोलों और मापों की केवल मीट्रिक प्रणाली से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

10. उम्मीदवारों को बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है ।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

भाग—2

मौखिक परीक्षा—उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवनवृत्त होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना होगा । साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षण तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा । उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं ।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु, स्वाभाविक निर्देशित और प्रयोजन युक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहणशक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

खण्ड—2

परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे। अन्य विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत को तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करें। सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं के विशेष रूप से परिचित हों।

सामान्य अंग्रेजी (कोड सं० 01)

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके। संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्यतः गद्यांश दिए जाएंगे।

सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02)

सामान्य ज्ञान जिसमें सामायिक घटनाओं का ज्ञान तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनीतिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

सांख्यिकी—I (कोड सं० 21)

प्रायिकता (40 प्रतिशत प्रधानता) मान सिद्धांत के तत्व-प्रतिदर्श परिभाषाएं और स्वयं सिद्ध अभिगम—प्रतिदर्श अवकाश संकुल और संकलित प्रायिकता के नियम—घटनाओं की प्रायिकता—प्रतिबंधित प्रायिकता के नियम—घटनाओं की प्रायिकता—प्रतिबंधित प्रायिकता—बेयर्स का प्रमेय—असंयोगिता विचरण—विरल और अविरल—वितरण कार्य—मानक प्रायिकता वितरण—बरनौली, समरूप, द्विपदीय, पाइसन ज्यामितीय, आयत, घातीय सामान्य, काची, पराज्याह मित्तीय, बहुपदीय लाप्लेस, ऋणात्मक द्विपदीय, बीटा, गामा, लघुसामान्य तथा संकलित पाइसन वितरण—अभिसरण, वितरण में, प्रायिकता में और प्रायिकता एक के साथ और मध्य वर्ग में—आगर्नन और संचायक-गणितीय अपेक्षा और प्रतिबंध अपेक्षा-लक्षणात्मक फलन और आपूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन-विलोम विलक्षणता और मात सिद्धांत—टेकेबाइचेक और कोलमोगोराव असमानताएं—बहुसंख्या नियम और स्वयं वितरणों के लिए केन्द्रीय सीमा सिद्धांत।

सांख्यिकीय पद्धतियां (45 प्रतिशत प्रधानता)

तथ्यों का संग्रह संकलन और प्रस्तुतीकरण—चार्ट, डायाग्राम और हिस्टोग्राम—आवृत्ति वितरण—निर्देशन, विक्षेपण और विषमता का माप द्विचर और बहुचर तथ्य—साहचर्य और आसंग—वक्र समजन और लांबिक बहुपद—द्विचर वितरण—द्विचर सामान्य वितरण समाश्रयण रेखीय बहुपदीय—सहसंबंध गणांक का वितरण—आंशिक और बहुल सहसंबंध अंतर्गत सहसंबंध—सहसंबंध अनुपात।

मानक त्रुटियां और वृहत प्रतिदर्श—परीक्षण प्रतिदर्श वितरण

वर्ग और एफ—इन पर आधारित प्रमुखता परीक्षण—गैर-परामित्तीय परीक्षण—साइन, मीडियम, रन, विलकांकसन मनविटनी वाल्ड, बल्फोविडज आदि—वरीयताक्रम सांख्यिकी—अल्पतम, अधिकतम, रेंज और मीडियम।

आंकड़ों का विश्लेषण (15 प्रतिशत प्रधानता)

लांग रेंज, न्यूटन-ग्रेगरी न्यूटन (विभाजित अंतर), गास और स्लेटिंग पर प्रचलित अन्तर्वेशन सत्र (शेष संभावना सहित)—थनार मस्लारिन का—संकलन सत्र—विलोम अन्तर्वेसन—आंकड़ों का समाकलन और अवकलन—प्रथम गुणांक का विभेद समीकरण—स्थिर गुणकों के साथ एक धातीय विभेद समीकरण।

सांख्यिकी—II (कोड सं० 22)

एकाघातीय प्रतिमान (25 प्रतिशत प्रधानता)

एक घातीय आकलन का सिद्धांत—गास मार्कफ प्रतिष्ठान—कनिष्ठ वर्ग आकलन—बी—विलोम का प्रयोग—एक तरफा और दो तरफा वर्गीकृत तथ्य का विश्लेषण—निश्चित, मिश्रित और यादृच्छिक प्रभाव वाले प्रतिमान—समाश्रयण गुणकों के लिए परीक्षण।

आकलन (25 प्रतिशत प्रधानता)

अच्छे आकलन के लक्षण—अत्याधिक संभावना, कनिष्ठ भी वर्ग आपूर्ण और कनिष्ठ वर्गों की आकलन पद्धतियां—अत्यधिक संभावना आकलन—क्रेमर राव असमानता—भट्टाचार्य परिसीमाएं—पर्याप्त आकलन गुणन खण्ड प्रमेय—सम्पूर्ण आंकड़े—राव—ब्लैकावेल प्रमेय-विश्वास अंतकाल आकलन—इष्टतम विश्वास परिसीमाएं।

परिकल्पना परीक्षण (25 प्रतिशत प्रधानता)

सरल और जटिल परिकल्पना—दो प्रकार की त्रुटियां—क्रांतिक क्षेत्र—विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र—धातु फलन अत्यन्त प्रभावशाली और समान रूप से अत्यन्त प्रभावशाली परीक्षण नेमन, परिसन आधार-भूत—अनभिनत परीक्षण—स्थालीप लाक परीक्षण—संभावना अनुपात परीक्षण—वाका

—OC—और ASN फलन—निर्णय के प्राथमिक तत्व और खेल सिद्धांत।

बहुचर विश्लेषण (25 प्रतिशत प्रधानता)

बहुचर सामान्य वितरण—मध्य प्रसारक का आकलन और सहकारिता व्यूह—हाटेलिंग का स्थतिक—महलनाबिस का

स्थतिक—बहुचर सामान्य जनसंख्या के प्रतिदर्श में आंशिक और बहुल सहसंबंध गुणांक—विशेष का वितरण उसका प्रति-रूपणात्मक और अन्य स्वभाव—विस्क का निष्कर्ष-विवेचनात्मक फलन—प्रमुख घटक—नियमानुसार विचर और सहसंबंध।

सांख्यिकी-III (कोड सं० 23)
भाग 'क' (सब के लिए अनिवार्य)

प्रतिदर्श विधियां (35 प्रतिशत प्रधानता)

जनगणना बनाम प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रारम्भिक और विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण-प्रतिस्थापन के साथ या उसके बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और प्रतिदर्श आबंटन—लागत और विचरण फलन—आकलन की आनुपातिक और समाश्रयी पद्धतियां—आकार के समानुपात में प्रायिकता रहित प्रतिचयन—संकुल दुहरा बहुरूपी बहुस्तरीय और व्यवस्थित प्रतिचयन—अन्त प्रदेशी उप प्रतिचयन—प्रतिचयनेत्तर त्रुटियां।

अर्थ सांख्यिकी (25 प्रतिशत प्रधानता)

समय श्रेणी के घटक—उनके निर्धारण की विधियां—विचरण विभेद पद्धति—यल स्लस्की प्रभाव—सहसंबंध चित्र—प्रथम और द्वितीय क्रम के स्वयं समाश्रयी प्रतिदर्श—मनारेख चित्र का विश्लेषण—मूल्यों और परिणामों के सूचकांक और उनके सापेक्ष गुण—थोक और खुदरा मूल्यों के सूचकांक की रचना—आय वितरण—पेरिटों और इंगेल वक्र—एकाग्रता वक्र—राष्ट्रीय आय का आकलन करने की पद्धतियां—खंडांतर प्रवाह—अन्तर्राद्योगिक तालिका।

भाग—(ख)

उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय पर प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प है।

(1) सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान (40 प्रतिशत प्रधानता)

विचारों और गुणों के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रक चित्र—गुणों के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन—एकल द्वंद्व, बहुल और श्रृंखलामूलक प्रतिचयन योजनाएं—

OC और ASH —फलन— AOQ आर ATI की धारण—विचर के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन—डाड्ज रामिक और अन्य तालिकाओं का प्रयोग।

परिचालन अनुसंधान का अभिगम—रेखांगत कार्यापतन के प्राथमिक तत्व—सिप्लेक्स प्रतिक्रिया—परिवहन और नियोजन समस्याएं—इवधात्मकत का नियम—एकल और बहुल आवधिक सूची नियंत्रण के नमूने। विश्वलेषण रेखा प्रतिदर्श के लक्षण— M/M/I M/M/C नमूने आम नकली की समस्याएं—नष्ट या क्षीण होने वाले तथ्यों के प्रतिस्थापन के नमूने।

(2) जनांकिकी और जन्ममरण आंकड़े (40 प्रतिशत प्रधानता)

जीवन तालिका, उसका निर्माण और लक्षण—मेकहम और गामपटस वक्र—राष्ट्रीय जीवन तालिकाएं—राष्ट्र संघ की जीवन तालिकाओं के नमूने—संक्षिप्त जीवन तालिकाएं—स्थिर और स्थायी जनसंख्या—विभिन्न जन्म गतियां—कुल प्रजनन गतियां—कल और निवल उत्पादन गतियां—विभिन्न मरण गतियां—मानकीकृत मरणगति—आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय प्रजनन—निवल प्रवृजन अन्तर्राष्ट्रीय और जनगणनोत्तर आकलन—वृद्धि, घाती वक्र सांजन सहित प्रक्षेपण विधियां—भारत में दशाब्दीय जनगणना।

(3) प्रयोग रूप कल्पना और विश्लेषण (40 प्रतिशत)

प्रयोग रूप कल्पना के निगम—पूर्ण रूप में यादृच्छिक बनाए गए यादृच्छिक खंड और रैटिन चौक अभिकल्पों का विन्यास और विश्लेषण—क्रमगणित प्रयोग और 22 और 33 प्रयोगों में संभस—खण्ड और उपखण्ड अभिकल्प—संतलित और अर्द्ध संतलित जरपर्ण वर्ग अभिकल्पों की रचना और विश्लेषण—सहकारिता का विश्लेषण—लाक्षिकेतर तथ्यों का विश्लेषण लुप्त और मिश्रित व्यूह के तथ्यों का विश्लेषण।

(4) अर्थनीति (40 प्रतिशत प्रधानता)

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण—मांग फलन का विशिष्टीकरण और आकलन—मांग की लोच—संरचना

और नमूना—एकल समीकरण शैली में प्राचलों का आकलन—परम्परागत अल्पमत वर्ग, साधारणीकृत अल्पतम वर्ग-विप्रवेयता क्रमांगत सह-संबंध—बहुल सम रेखीयता—विचार प्रतिदर्श में त्रुटियां—समकालिक समीकरण प्रतिदर्शतदात्मकता, वरीयता क्रम और क्रमण परिस्थितियां—परीक्षा अल्पतम वर्ग और दो स्तरीय अल्पतम वर्ग—अल्पकालिक आर्थिक भविष्य कथन।

परिशिष्ट—2

इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा में भर्ती की जा रही है, उसका संक्षिप्त ब्यौरा :

1. जो उम्मीदवार सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा ग्रेड-4 में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशलता की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

3. परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है उनके लिए निर्धारित वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—

भारतीय सांख्यिकी सेवा :—

स्तर/पद	वेतनमान
उच्च प्रशासनिक ग्रेड	(7300–7600 रु०)
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	(5900–6700 रु०)
कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड	(3700–5000 रु०)
(4500–5700 रु० के वेतनमान में नान-फंक्शनल चयन ग्रेड सहित)	
वरिष्ठ समय वेतनमान	(3000–4500 रु०)
कनिष्ट समय वेतनमान	(2200–4000 रु०)

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड-4 में पदोन्नति समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा उसको किसी राज्य सरकार या गैर-सरकार संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7. इस सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी तथा पेंशन इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप "क" के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होंगी।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है किन्तु ऐसे संशोधनों की शर्त के साथ ही जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं।

परिशिष्ट—3

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं? ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षक (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं।)

भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पाने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइंडियन सहित) जाति के उम्मीदवार की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवार की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे। व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के बारे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती

का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा—वह अपने जूते उतार देगा और उस माप दण्ड (स्टैण्डर्ड) से, इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहे और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पावों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। यह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी ऐड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ, लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेबल) हारिजंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और सीधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार—उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा ताकि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर ऐंगल्स) से लगा और फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाये। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा 84–89, 86–93 आदि माप का रिकार्ड समय आधे सेंटीमीटरों से कम से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापनी चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नैकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में, मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल अधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
6/9	6/9 या		
6/9	6/12	जे-I	जे-II

(च) माय्योपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्य-कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए सम्मुखम विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेश)—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन "ए" की कमी के कारण और (2) रेटीना के शरीर रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटिनिटिस पिगमैंटीसा होती है। उपर्युक्त (1) में फंडस की स्थिति सामान्य होती है साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाती है ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस प्रायः होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चलता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेषतया जब फण्डस न हो तो इलैक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है, इन दोनों जांचों (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में अधिक समय लगता है। और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है। इसलिए साधारण चिकित्सा जांच से इसका पता संभव नहीं है। इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों का सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन) :—

(1) आंख की उस बीमारी की या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिऐक्टिव एरर) का जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए।

(2) भेंगापन (स्कविंट) : तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (वाइनोकुलर) दृष्टि अनिवार्य हो दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(3) एक आंख : यदि किसी व्यक्ति की एक आंख अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहरा बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है। इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है। बशर्ते कि सामान्य आंख :

(i) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे० 1 का चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्ट्रस से अधिक न हो।

(ii) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो।

(iii) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित हो।

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है।

(ज) कान्टेक्ट लेंस—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा समय कान्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए गए अक्षरों का उदभासन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो।

7. ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा नोर्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन को काम चलाई विधि नीचे दी जाती है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा आयु के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 जमा आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर आकलन करने में 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें :—सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर की ओर 90 एम० एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य/अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गनिक) बीमारी है? ऐसे सभी केसों में हृदय को एक्स-रे और विद्युत हृदयलेखी (इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फतवा केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :

नियमित पारे वाले दबावमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए। भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रकट धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबाकर ढूंढा जाता है तब तक उसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां/ध्वनि तेज सुनाई पड़ेगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए। क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाये। (कभी-कभी कफ) से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर

पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दबाव गिरने पर ये गायब हो जाती हैं और निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं) इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलूओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लकोजमेह (ग्लाकोसरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लकोजमेह अमधुमेही (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों, मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड को "फिट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाणपत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य की परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जानी है :—

(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
(2)	दोनों कानों में बहरापन या प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रव्य यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसीज में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य है।
(3)	सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र।	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य।
(4)	कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से सबसे नार्मल श्रवण।	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप के एक ओर से मस्टायड केविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान में सब-नार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य। (2) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीमल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।

(5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया या बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी प्रकार रूप से अयोग्य।
(6) नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनों डि-फारमिटि रहित अथवा उसके नाक की प्रदाहक/एलर्जिक दशा।	(1) प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जाएगा।
	(2) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(7) टांसिल्स और/या स्वरयंत्र (लैरिंक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(1) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लैरिंक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य।
	(2) यदि आवाज में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(8) कान, नाक, गले (ई० एन० टी०)।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य।
	(2) दुर्दम्य ट्यूमर अयोग्य।
(9) आस्टैक्लिरॉसिस।	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीमल के अन्दर होने पर योग्य।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्म-जात दोष।	(1) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य।
	(2) भारी मात्रा में हक-लाहट हो तो अयोग्य।
(11) नेजल पोलो।	अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने मे हकलाता/हकलाती नही हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में है या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नही और छाती काफी फैलती है या नहीं उसका दिल या फेफड़े ठीक है या नहीं।

(ङ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसील, वेरिकाजशिरा (वन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रन्थियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों में नियमित रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं संदेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है। उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (ऐबरेशन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकार विज्ञानी मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. मैडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु० 50/- का अपील शुल्क जमा करना होता है। यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे शेष दूसरों के बारे में यह जब्त कर लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 2 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में होगी और स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए योजना मंत्रालय (सांख्यिकी विभाग) जैसी भी स्थिति हो द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मैडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल यदि हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बन्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न निरन्तर कारगार सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगार सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में सामान्यत: तीन सदस्य होंगे (1) एक कार्य चिकित्सक (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिएं। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय सांख्यिकी सेवा उम्मीदवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामले में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वह डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टर बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतंत्र हैं।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारण तथा अधिक से अधिक 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए, उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें ....
   (साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं ....

3 (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से सम्बन्धित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दिजिए उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

दूसरी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ? ....

5. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित है उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1			
2			
3			

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहने जीवित है उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1			
2			
3			

6. क्या इसके पहले मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला अधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मैडिकल बोर्ड हुआ ?

10. मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए ....

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर ....

नोट : उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृति भत्ता (सुपरएनुएशन आलाऊंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

.... (उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास .... अच्छा .... बीच का .... कम .... कम पोषण पतला .... औसत .... मोटा ....

कद जूते उतार कर .... वजन ....

अल्पतम वजन .... कब था ? ....

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन

तापमान ....

छाती का घेरा ....

(1) पूरा सांस खीचने पर ....

(2) पूरा सांस निकालने पर ....

2. त्वचाएं .... कोई जाहिर बीमारी

3. नेत्र ....

(1) कोई बीमारी ....

(2) रतोंधी ....

(3) कलर विजन का दोष ....

(4) दृष्टि नेत्र (फील्ड आफ विजन) ....

(5) दृष्टि तीक्षणता विजुअल एक्यूटी ....

(6) फण्डस की आंच ....

दृष्टि की तीक्षणता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता		
			गोल	वर्टूल	एक्सिस
दूर की नजर दा० ने०					
बा० ने०					
पास की नजर दा० ने०					
बा० ने०					

4. कान : निरीक्षण .... सुनना .... दाया कान .... बाया कान ....

5. ग्रंथियां .... थाइराइड ....

6. दांतों की हालत ....

7. श्वसन तंत्र (रेसपायरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन)

गति रेट :—

खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने पर ....

कुदाए जाने के दो मिनट बाद ....

(ख) ब्लड प्रेशर .... सिस्टालिक ....
.... डायस्टालिक

9. उदर (पेट) : घेर .... स्पर्शासह्यता
हर्निया :—

(क) स्पर्श कर मालूम पड़ना/लिवर ....
तिल्ली .... गुर्दे ....
ट्यूमर ....

(ख) रक्तार्श
भगंदर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता भगंदर का संकेत ....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)
असमानता ....

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) हाइड्रोसिल वरिकोसिल आदि का कोई संकेत।
मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एलबूमिन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट ?

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट—महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9।

15. (क) क्या वह भारतीय सांख्यिकी सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर कार्य के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ?

नोट :—बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए :

(क) योग्य (फिट)

(ख) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ....

(ग) अस्थायी रूप से अयोग्य जिसका कारण ....

स्थान ....

तारीख ....

अध्यक्ष ....

सदस्य ....

सदस्य ....

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1997

No. 12-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of 'Shaurya Chakra' to the undermentioned persons for acts of gallantry :—

1. Shri Makhan Singh, (Posthumous)
Punjab.

(Effective date of the award : 21-9-1992).

On 21 September, 1992 at about 8.30 A.M. Shri Makhan Singh, Sarpanch of Village Sarai, District Amritsar, and his nephew Shri Gurnam Singh were going from their village to Khalchian on motor cycle. When they reached near the fields of one Swaran Singh R/o Dhoolka, Distt. Amritsar, two extremists identified as Balkar Singh and Nishan Singh alleged Area Commander, Khalistan Liberation Force stopped their motor cycle and started grappling with Shri Makhan Singh. Shri Makhan Singh snatched the AK-47 Assault Rifle from the terrorist Nishan Singh and killed him on the spot. The other extremist Balkar Singh who was also armed with AK-47 Assault Rifle started firing. As a result of firing by the extremist and ensuing scuffle, Shri Makhan Singh was killed while his nephew saved his life by lying on the ground. One AK-47 Assault Rifle was recovered from the dead extremist alongwith ammunition consisting of one extra magazine of the Assault Rifle and a bag containing a bomb and some live cartridges.

Shri Makhan Singh thus, displayed exemplary courage in the face of his impending death and killed one extremist before sacrificing his life.

2. Shri Pritam Singh Gabel,
Madhya Pradesh.

(Effective date of the award 2-6-1994)

On 2 June, 1994, at 0830 PM six notorious criminals armed with revolvers and country made bombs entered the house of Shri Dhyandas in the village Deori, Distt. Bilaspur, Madhya Pradesh with intent to loot. Shri Pritam Singh Gabel, yound brother of Shri Dhyandas, who lives in the adjoining house heard about this and reached the spot with a Pharsa and challenged the dacoits. The dacoits hurled the country made bomband fired bullets on him. One of the bullets pierced his left arm. Without caring for his life and despite the bullet injury, Shri Gabel continued to fight single handed with the armed dacoits. In the face of stiff challenge the dacoits began to retreat and in the process a bomb in their hand exploded. One of the criminals was seriously injured and later succumbed to the injuries. Shri Gabel surrounded the remaining five dacoits and with the help; of the villagers and the police, all these five dacoits were apprehended.

Despite the bullet injuries inflicted upon him, Shri Pritam Singh Gabel showed courage and gallantry in encountering the gang of dacoits and in apperehending them.

3. Major Basil Massey (IC-44245),
5 PARA.

(Effected date of the award 12-4-1995)

Major Basil Massey was the Rifle Company Commander of 5 Parachute Regiment operating in the undergrounds infested areas of Dimapur Town, Nagaland.

On 13 January, 1995 Major Basil Massey planned and executed a daring raid on a house in Oriental colony of Dimapur town and captured an underground after physically grappling with him and overpowering him. The next day on 14 January, 1995, he led a Heliborne raiding party of 5 Para to the Battalion Headquarter of Hevito Battalion in which two undergrounds were killed and two weapons captured alongwith large quantities of ammunition and intelligence documents.

On 12 April 1995, a Battalion Commander of National Socialist Council of Nagaland (Issac-Muivah) was eliminated by Major Basil Massey in a daring and unorthodox raid. During the execution phase of the raid the underground fled in a gypsy vehicle but was chased by Major Basil Massey in another gypsy. On catching up with underground, grenades were thrown at Major Basil Massey seriously injuring the officer in both the thighs by grenade splinters. The officer not caring for the injuries succeeded in shooting the underground dead.

Major Basil Massey, thus, displayed conspicuous acts of gallantry and devotion to duty in the face of Naga undergrounds.

4. Major Virender Dhatwalia (IC-49087),
25 Rashtriya Rifles.

(Effective date of the award 20-9-1995)

On 20 September, 1995, Major Virender Dhatwalia, 25 Rashtriya Rifles alongwith one Junior Commissioned Officer and 12 other Ranks was detailed on a commando mission to locate some Anti National Elements who were reportedly hiding in village Jandiani in Doda District of Jammu and Kashmir. On reaching the area Major Virender Dhatwalia approached the suspected house and got on top of its mud roof. Some Anti National Elements hiding in the house, fired on to the roof from inside the house, the bullets barely missing him.

Seeing one Anti National Element rushing outside with a grenade, Major Virender Dhatwalia jumped down from, the roof firing at the militant killing him on the spot. Fire opened up on the officer and his party from, another house 30 metres away. Major Virender Dhatwalia immediately cordoned off both the houses with his small team and kept the Anti National Elements trapped till the reinforcements arrived. Thereafter on neutralisation of the house by Rocket Launchers, three militants rushed out of the house firing indiscriminately at the cordon. Major Virender Dhatwalia chased the Anti National Elements and shot dead two of them.

Major Virender Dhatwalia, thus, displayed act of utmost courage, presence of mind and gallantry of the highest order in killing three dreaded militants.

5. Major Dharmender Gupta (IC-42867),
18 Assam Rifles.

(Effective date of the award 2-12-1995)

On 2 December, 1995 Major Dharmender Gupta, 18 Assam Rifles alongwith 8 Other Ranks planned to search a house on specific information, at village Ponyu in Kulgam Tehsil in Jammu and Kashmir.

In a swift manoeuvre, all escape routes from the house were occupied and Major Dharmender Gupta alongwith three Other Ranks prepared to storm the house. One militant hiding in the adjacent house became aware of the action being taken and threw a hand grenade on Major Dharmender Gupta's party and followed it with a volley of fire.

Major Dharmender Gupta received a splinter injury on his forehead and started bleeding profusely. Suddenly firing also started from the rooftop of the target house. Judging the gravity of the situation where life of his comrades was endangered, Major Dharmender Gupta oblivious of his grave injury rushed and shot dead the militant before he could change his position. In panic the other militant jumped out of the house and entered the neighbouring house from where he started firing indiscriminately. Unruffled by the volley of fire, the officer in a steadfast and unwavering manner entered the room and shot him dead on the spot with his accurate fire.

Major Dharmender Gupta, thus, displayed extreme dedication to duty in saving the life of his comrades.

6. 2886537 Rifleman Ravendra Singh,
13 Rajputana Rifles.

(Effective date of the award 21-12-1995)

On 21 December, 1995 at approximately 1125 hours 'B' Company of 13th Battalion of Rajputana Rifles was on patrol in village Dur, District Baramulla in Jammu and Kashmir when the company commander observed a suspicious movement in a house. Rifleman Ravendra Singh, was ordered to cover the main enterance to the house. When troops were running to take position, terrorists in a bid to escape opened fire.

In a face to face encounter with a terrorist Rifleman Ravendra Singh displaying unarmed combat skill, snatched the terrorist's rifle and killed him. Thereafter, with utter disregard to his personal safety, he chased another terrorist escaping from the house and killed him too.

Rifleman Ravendra Singh, thus, displayed courage, determination and dedication to duty with utter disregard to his personal safety.

7. Captain Hitesh Bhalla (IC-49510), SM,
21 Rashtriya Rifles.

(Effective date of the award 5-1-1996)

On 5 January, 1996 Captain Hitesh Bhalla, 21 Rashtriya Rifles was conducting search operation. Operation Ganpati, in area Kandi in district Kupwara in Jammu and Kashmir.

While conducting search, the party was fired upon by two foreign mercenaries from a hideout resulting in bullet injuries to two Non-Commissioned Officers, Captain Hitesh Bhalla, quickly ordered cordoning off of the hideout and under heavy and effective automatic fire of the terrorists crawled inside the hideout and retrieved both the casulties.

Thereafter, the officer with utter disregard to personal safety, crawled towards the hideout and lobbed a grenade inside. This resulted in fatal injuries to one terrorist and compelled the other to come near the trap door. In a face to face encounter the officer then shot dead the other terrorist also from a close range.

Captain Hitesh Bhalla, SM thus, displayed conspicuous courage, determination and dedication to duty, with utter disregard to his personal safety.

8. 2882653 Lance Naik Raj Singh, (Poshthumous)
13 Rajputana Rifles.

(Effective date of the award 17-2-1996)

On 17 February, 1996, troops of 13th Battalion of Rajputana Rifles claimed Kowut Ridge in Sopore, District Baramulla in Jammu and Kashmir with precipitous slopes, heavy snow and thick forest, to locate and destroy terrorist hide out.

At approximately 1600 hours the troops came under terrorists' fire. Lance Naik Raj Singh, 13 Rashtriya Rifles displaying raw courage closed on to the terrorists but in the initial engagement he sustained a bullet injury.

Realising that the commanding officer was pinned down by terrorists fire, Lance Naik Raj Singh with utter disregard to his injury and personal safety crawled forward, closed on to terrorists and charged an Afghan Mercenary killing him in hand to hand fight.

Thereafter, he chased others injuring them. During this action, Lance Naik Raj Singh sustained a fatal injury to which he finally succumbed on 17 February 1996.

Lance Naik Raj Singh, thus, displayed conspicuous bravery, unparalleled tenacity, devotion to service beyond the call of duty and spirit of self sacrifice.

9. 4360580 Sepoy Satheesan S.
35 Rashtriya Rifles.

(Effective date of the award 20-2-1996)

Sepoy Satheesan S. Assam, 35 Rastriya Rifles was part of Quick Reaction Team tasked for specific search of the village, Bemina, District Budgam in Jammu and Kashmir.

On 20 February, 1996, information received regarding two terrorists named Mushtaq Ahmed Alias Shaukat and Nazir Ahmed Alias Shahbaz, camping in village Bemina in connection with extortion of money.

At about 2330 hours when the Quick Reaction Team sought entry into the house where militants were hiding, both the Anti National Elements opened fire at the troops and attempted to escape. Nazir Ahmed jumped out of the window after firing AK-47 and ran away. Sepoy Satheesan with utter disregard to own safety ran after him and pounced upon the Anti National Element. In the hand to hand csuffle Nazir Ahmed attacked Sepoy Satheesan with a sharp edged weapon and attempted to free himself while injuring sepoy Satheesan in the right. Sepoy Satheesan unmindful of personal injury and displaying exemplary bravery shot dead Nazir Ahmed. Mushtaq Ahmed who was running away and firing was also shot dead.

Sepoy Satheesan S., thus, displayed exemplary courage and bravery, and despite injury to himself and grave danger to his own life shot dead two dreaded militants.

10. GS-171694K Leading Head (Non-Technical)
Vijendra Singh.
Border Roads Organisation.

(Effective date of the award 23-3-1996)

Leading Hand (Non-Technical) Vijendra Singh was deployed in 410 Road Maintenance Platoon at Chazuba in Phek District of Nagaland.

On 23 March 1996, at about 1845 hours a few armed miscreants entered the GREF, Camp. They went to the family quarters and started manhandling ladies and children asking them to hand over cash and other valuables. Shri Vijendra Singh who was in the Platoon Office immediately rushed to the camp.

Shri Vijendra Singh saw one miscreant armed with a carbine ransacking a house. He caught hold of him from behind and tried to snatch his weapon. The miscreant offered stiff resistance and fired three rounds from his carbine. Yet, he did not relent. The miscreant fearing of being overpowered finally ran away and escaped in the cover of darkness after fighting for about 10 minutes. With complete disregard to his personal safety he forced the miscreants to run away and prevented further looting of family quarters.

Leading Hand (Non-Technical) Vijendra Singh, thus, displayed indomitable courage, valour, high sense of responsibility, presence of mind and gallantry of an extremely high order.

11. 3000821 Naik L Thoiba Singh,
30 Assam Rifles.

(Effective date of the award 3-5-1996)

On 3 May, 1996, on confirmed information that some armed insurgents were taking shelter in Soiobam Leikai Imphal, a Quick Reaction Team was launched of which Naik L Thoiba Singh, 30 Assam Rifles was a part.

Whilst the cordon was being established the undergrounds brought down heavy volume of fire which was retaliated. Having identified presence of undergrounds in the first floor room of a house from where fire was being directed at own troops, Naik L Thoiba Singh with utter disregard to his personal safety, dashed across the courtyard and clambered up the only entry via the rickety wooden ladder when he was fired upon and hit on his person.

Unmindful of his injury Naik L Thoiba Singh fired back at the two insurgents injuring them before falling down the ladder. Both the insurgents jumped and escaped. During the ensuing search, the body of one underground was found lying dead alongwith one .32 pistol and 5 rounds of ammunition later identified as a hard core PLA activist.

Naik L. Thoiba Singh, thus, displayed extra-ordinary zeal, presence of mind, bravery of the highest order while figting the undergrounds.

12. 13616901 Lance Naik Jasbir Singh,
9 PARA.

(Effective date of the award 5-5-1996)

Lance Naik Jasbir Singh, Parachute Regiment was part of the team of 9 Para (Special Forces); which carried out counter insurgency operations in Lolab Valley in Kupwara district of Jammu and Kashmir. On 4 May 1996 based on intelligence generated by the team, an operation was planned to lay multiple ambushes in general area Dardpura.

The team after an arduous climb and night move over difficult mountanous terrain arrived at the ambush sight on 5 May 1996. At 0920 hours Lance Naik Jasbir Singh noticed one armed foreign militant and immediately along with his buddy crawled to within 50 metres of the armed militant and killed him with a head shot. On killing of the militant, around 10 to 12 militants charged towards Lance Naik Jasbir Singh and his buddy bringing down heavy fire. The first burst of bullets hit Lance Naik Jasbir Singh in the abdomen as he and his buddy were exposed and were drawing intense fire. Lance Naik Jasbir Singh, despite injury moved ahead lobbing grenades and firing. By this action he killed one more militant and seriously injured three other militants. His act of dare devilry made the remaining militants flee with the injured. During this action his intestines were hanging out, which he later tucked in and bandaged with his field dressing with the help of his buddy. He was evacuated to hospital.

Lance Naik Jasbir Singh, thus, displayed leadership qualities worth emulating and gallantary in killing two hardcore foreign mercenaries and recovering two AK-47 rifles.

13. Major John Soundra Pandian (Posthumous)
(IC-38699),
19 Madras.

(Effective date of the award 10-5-1996)

On 10 May 1996, Major John Soundra Pandian, 19 Madras, established a stop position in area Kathau, District Doda in Jammu and Kashmir Sector. At 0925 hours a group of militants was spotted and engaged by the Commanding Officer's party nearby Kathau and fierce fight lasting 40 minutes took place.

Major John Soundra Pandian identified the escape route and voluntarily closed in with the militants line hidden in thick jungle. The militants suddenly opened fire and grievously injured the officer in the chest. Not caring for his safety, in a daring move the officer opened fire and killed his assailant on the spot. The other militants threw two hand grenades on him causing his death

Major John Soundra Pandian died on the spot at 1120 hours on 10 May 1996 but not before displaying bravery, raw courage, and espirit-de-corps. His sacrifice galvanized the unit into action and resulted into killing of five militants and breaking the cohesion of their organisation

Major John Soundra Pandian, thus, displayed unparalleled bravery and made supreme sacrifice.

14. Lieutenant Colonel Mukesh Chandra Sharma
(IC-36554), (Posthumous)
16 Rashtriya Rifles.

(Effective date of the award 22-5-1996)

On 22 May 1996, Lieutenant Colonel Mukesh Chandra Sharma, officiating Commanding Officer 16 Rashtriya Rifles was moving in a special convoy of eight vehicles on road Wokha (Nagaland)—Golaghat (Assam). Lieutenant Colonel Mukesh Chandra Sharma was driving the Gypsy which was fourth in the order of march. At 1215 hours the convoy

was ambushed by Naga undergrounds numbering aproximately twenty to thirty generating a very heavy volume of fire. The first volley of shots hit the Jonga frontally as a result Lieutenant Colonel Mukesh Chandra Sharma sustained injuries on the chest.

Though wounded, he immediately halted the Jonga ordered other occupants to dismount and return the fire. He himself took out his pistol and started firing towards the ambush.

Refusing medical aid despite bleeding profusely, Lieutenant Coloned Sharma drove the jonga forward through the hail of bullets driving with left hand and firing with right hand, all the while shouting and exhorting his men to fire at the ambush. He overtook the vehicle which had been immobilised and continued driving up along the length of the convoy exhorting and motivating his men. In doing so he received more bullet hits till; he was fatally hit on the head by a burst from a close range of two metres. Lieutenant Colonel Sharma finally succumbed to the injuries at the wheel of the Jonga with the pistol still gripped in his hand.

Lieutenant Colonel Mukesh Chandra Sharma, thus, displayed raw courage, and leadership qualities of the highest order in an encounter with Naga undergrounds.

15. Major Anil Kumar (IC-50280),
8 Assam Regiment.

(Effective date of the award 24-6-1996)

Major Anil Kumar of 8 Assam on receiving specific information from a source about a suspected United Liberation Front of Assam camp at village Umru near Baithalangsu in Karbi Anglong district, (Assam) promptly moved with a force to the general area on the night of 24/25 June, 1996. Major Anil Kumar leading his party to silence the sentries covering the main approach to the camp, moved stealthily forward under cover of darkness with just two men with him to cover the last 20 metres. Catching one of the Undergrounds totally by surprise, Major Anil Kumar bodily lifted him off his feet, threw him to the ground and pinned him down whilst one of his men snatched the underground's weapon from him. Ordering his men to fire at the other two ultras, he caused them to flee in panic. Major Anil Kumar then brought the captured sentry and weapon back to the covering party location whilst heavy automatic fire was being exchanged by both sides. At about 0345 hours on 25 June, 1996, when he moved with his party to search the camp, a group of 6 ultras opened heavy fire. Major Anil Kumar boldly replied the fire and dashed through a nearby plantation to out-flank the retreating ultras. With total disregard for his personal safety, he directed his men to engage these ultras and fearlessly moved about coordinating the fire of his two parties. This audacious action of exemplary personal valour by Major Anil Kumar resulted in elimination of five and capture three hardcore United Liberation Front of Assam.

Major Anil Kumar, thus, displayed exemplary leadership and valour of the highest order in killing 5 and capturing 3 Assamese undergrounds.

16. Mahipal Yadav, (Posthumous)
Petty Officer UW I (AD),
112853K.

(Effective date of the award 29-7-1996)

On 29 July, 1996 at about 1700 hrs the INS Savitri was in the midst of a major tactical exercise of the East Coast. While carrying out astern fuelling with a merchant Navy tanker, the nylon line attacked to the fuelling hose became entangled in the ship's stablizer. To avoid the possibility of ship being immobilised on high seas, the base line was cut off and the ship immediately brought to a stop. However, all efforts to disentangle the line from the ship proved futile. Since sun-set was fast approaching and there was urgent need to clear the fouled line so that the ship could get underway at the earliest, a decision was taken to send divers down to clear the line from the ship's bottom.

Petty Officer Yadav volunteered to undertake the first dive as he considered that his greater experience would prove useful in the conditions of rough sea and fading light prevailing at that time. Petty Officer Yadav went over the ship's side and proceeded to execute the given task in a cool, calm and professional manner. Inspite of extremely difficult working conditions Petty Officer Yadav carried on his task undeterred and succeeded in finding the end of hose line and the buoy, both of which surfaced in a short while, thus, removing the danger to the ship.

However, during the complicated, difficult and hazardous, task of disentangling the hose line, Petty Officer Yadav suffered injuries which caused incapacitation and death due to asphyxiation.

Petty Officer Mahipal Yadav, thus, displayed conspicous gallantry, extreme devotion to duty and made the supreme sacrifice.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 13-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Param Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

1. Lieutenant General Ravi Eipe (IC-11566), AVSM, Infantry.
2. Lieutenant General Chandra Shekhar (IC-11837), AVSM, Infantry.
3. Lieutenant General S Padmanabhan (IC-11859), AVSM, VSM Artillery.
4. Lieutenant General Hari Mohan Khanna (IC-12315), AVSM, Infantry.
5. Lieutenant General Hira Ballabh Kala (IC-12356), AVSM, SC, Infantry.
6. Lieutenant General Harnarinder Singh Bedi (IC-11558) Infantry.
7. Lieutenant General Amarjit Singh Sandhu (IC-11823), Armoured Corps.
8. Lieutenant General Surjit Singh Sethi (IC-11825), AVSM, Artillery.
9. Lieutenant General Krishna Mohan Seth (IC-12070), AVSM, Artillery.
10. Lieutenant General Kuldip Singh Sethi (JC-12361), AVSM, Artillery.
11. Lieutenant General Baldev Singh Randhawa (IC-12410), AVSM, Infantry.
12. Lieutenant General Manjit Singh Bhullar (IC-12524), VSM, Infantry.
13. Lieutenant General Jagdish Singh Dhillon (IC-12534), YSM, Infantry.
14. Lieutenant General Vijay Kumar Kapoor (IC-12793), AVSM, Electrical and Mechanical Engineers.
15. Lieutenant General Tej Pal Singh Rawat (IC-12836), VSM, Infantry.
16. Lieutenant General Sarabjit Singh Grewal (IC-13264), AVSM, SM, VSM, Infantry.
17. Major General Chandan Singh Nugyal (IC-12851), UYSM, Infantry.
18. Vice Admiral Avnish Rai Tandon, AVSM, 00421-F.
19. Vice Admiral Adolph Britto, AVSM. VSM, 40143-H.
20. Vice Admiral Verghese Koithara, AVSM, VSM, 60086-H.
21. Air Marshal Bharat Kumar, AVSM (5787) Flying (Pilot).
22. Air Marshal Anil Yashwant Tipnis, AVSM, VM (5859) Flying (Pilot).
23. Air Marshal Krishna Bihari Singh, AVSM, VM, VSM (5865) Flying-Pilot.

24. Air Marshal Trevor Raymond Joseph Osman, AVSM (6005) Flying (Pilot).
25. Air Marshal Ghanshyam Gururani, AVSM, VSM, (6387) Aeronautical Engineering. (Mechanical).
26. Air Marshal Ramesh Chandra Bajpai, AVSM (5967) Aeronautical Engineering (Electronics) (Retired).

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 14-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Uttam Yuddh Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Commodore Pradeep Kaushiva, VSM, 00787-N.
2. Commodore Badhan Kumar Ray, 01027-H.

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 15-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Lieutenant General Shamsher Singh Mehta (IC-13898), AVSM, VSM, Armoured Corps.
2. Air Commodore Padamjit Singh Ahluwalia, AVSM, VM, VSM (11631) Flying (Pilot).

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 16-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Ati Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. Lieutenant General Russell Jacob Mordecai (IC-12543), Engineers.
2. Lieutenant General Yuvraj Kumar Mehta (IC-12803), Engineers.
3. Lieutenant General Ravi Kumar Sawhney (IC-12992), Infantry.
4. Lieutenant General Addusumilli Seshagiri Rao (IC-13385), Infantry.
5. Lieutenant General Dharambir Singh (IC-12552), Electrical and Mechanical Engineers.
6. Lieutenant General Nirmal Chander Vij (IC-13710), Infantry.
7. Major General Nasib Singh Katoch (IC-12846), SM, VSM, Infantry.
8. Major General Prabhakar Shreepad Modak (IC-12931), Signals.
9. Major General Cadambi Ramaswamy Sampath Kumar (IC-13027), VSM, Artillery.
10. Major General Mohan Anand Gurbaxani (IC-13633), Infantry.
11. Major General Gopal Krishan Duggal (IC-14541), VrC, Infantry.
12. Major General Yogeshwar Bahl (IC-14727), SC, Infantry.
13. Major General Dattatray Balajirao Shekatkar (IC-14765), VSM, Infantry.
14. Major General Ananthnarayan Natrajan (IC-15464), VSM, Artillery.
15. Major General Gurbaksh Singh Sihota (IC-15471), VrC, VM, Artillery.
16. Major General Narayan Chatterjee (IC-15543), SM, VSM, Artillery.
17. Major General Jagdish Chander (IC-15931), VSM, Army Service Corps.
18. Major General Gurudev Singh Octania (MR-1890), Army Medical Corps.
19. Brigadier Narinder Paul Jyoti (IC-16427), Signals.
20. Brigadier Mohinder Singh (IC-16838), Infantry.
21. Brigadier Amrik Singh Bahia (IC-17576), Infantry.
22. Brigadier Mohinder Pal Singh (IC-17589), Armoured Corps.
23. Brigadier Devraj Singh (IC-17594), Infantry.
24. Brigadier Mohan Chandra Bhandari (IC-17615), Infantry.
25. Brigadier Kamal Krishna Khanna (IC-17640), Infantry.
26. Brigadier Madan Gopal (IC-17733), Infantry.
27. Brigadier Parmendra Kumar Singh (IC-19050), Artillery.
28. Brigadier Inderjit Singh (IC-22575), KC, VSM, Infantry.
29. Surgeon Vice Admiral Chandrasekhar Doraiswami Sasikumar, 75579-W.
30. Rear Admiral Yashwant Prasad, VSM, 00709-K.
31. Rear Admiral Suresh Chandra Mehta, 00727-A.
32. Rear Admiral Prabir Kumar Chakravorty, 40189-N.
33. Commodore Arun Kumar Kapur, VSM 00638-Z.
34. Commodore Sarojindra Nath, 00641-F.
35. Commodore Ambat Chacko Avarachan, 601444-R.
36. Air Marshal Dinesh Chandra Dhyani, VSM (6590) Administration.
37. Air Marshal Shanti Swaroop Gupta, VSM (6805) Aeronautical Engineering (Mechanical).
38. Air Vice Marshal Sriperumbudur Raghavan, VSM, (6710) Logistics.
39. Air Vice Marshal Khushinder Singh Bindra VM (6863) Flying (Pilot).
40. Air Vice Marshal Michael McMahon, VM (7399) Flying (Pilot).
41. Air Commodore Amlendra Nath Sen (8395) Flying (Pilot).
42. Air Commodore Peter Keith Pinto (8419) Flying (Pilot).
43. Air Commodore Ivor Percival Alexander (8430) (Flying (Pilot).
44. Air Commodore Pramod Kumar Misra (8842) Education.
45. Air Commodore Mohinderjit Singh Singha, VM (9711) Flying (Pilot).
46. Air Commodore Subhash Bhojwani, VSM (9734) Flying (Pilot).
47. GO-278F Chief Engineer Ram Prakash, SC, BRO.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President.

No. 17-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Yuddh Seva Medal" to Brigadier Tej Swaroop Pathak (IC-16844), YSM, Infantry for his distinguished service of a high order.

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 18-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Yuddh Seva Medal" to Commodore Chilkamarri Ramachandra Charyulu, 00962 K for his distinguished service of a high order.

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 19-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:—

1. Major General Sarab Jot Singh Saighal (IC-132344) VM, Artillery.
2. Major General Ashendra Kumar Sharma (IC-13594), Electrical and Mechanical Engineers.
3. Major General Surendra Shah (IC-13687), VrC, Infantry.
4. Major General Mohinder Singh Chandhoke, (IC-14058) Army Service Corps.
5. Major General Jitendra Singh (IC-14382), Infantry.
6. Major General Dharam Parkash Sehgal (IC-15403), Signals.
7. Major General Ranjit Singh Nagra (IC-15492), Artillery.
8. Major General Misal Prakash Ramrao (IC-16045), Artillery.
9. Major General Manjit Singh Sandhu (IC-16130), Armoured Corps.
10. Major General Sarvjit Singh Chahal (IC-16240), Infantry.
11. Major General Amarjit Singh Klair (IC-16263), Armoured Corps.
12. Major General Parmdei Paul Singh Bindra (IC-18964), Infantry.
13. Major General Jitendra Nath Phukan (MR-01942), Army Medical Corps.
14. Brigadier Dharamjit Singh (IC-14011), Infantry.
15. Brigadier Jarnail Singh Antal (IC-14568), SM, Infantry.
16. Brigadier Chohan Samunder Singh (IC-14894), Electrical and Mechanical Engineers.
17. Brigadier Inder Nath Bhatia (IC-15434), Signals.
18. Brigadier Arun Kumar Mishra (IC-16544), Infantry.
19. Brigadier Yogesh Kumar Saksena (IC-15807), Engineers.
20. Brigadier Kamal Nayan Pandit (IC-15808), Electrical and Mechanical Engineers.
21. Brigadier Puttam Madam Mohandev (IC-15821), Electrical and Mechanical Engineers.
22. Brigadier Prashanta Kumar Ghosh (IC-15842), VrC, Signals.
23. Brigadier Lalit Malhotra (IC-16243), Intelligence Corps
24. Brigadier Vinayak Gopal Patankar (IC-16313), Artillery.
25. Brigadier Sohal Sarabjit Singh (IC-16330), SM, Infantry.
26. Brigadier Manmohan Singh Baidwan (IC-16615), Electrical and Mechanical Engineers.
27. Brigadier Mridul Dutta (IC-16803), Infantry.
28. Brigadier Pradip Mehta (IC-17120), Engineers.
29. Brigadier Nirbhay Sharma (IC-17244), Infantry.
30. Brigadier Baldev Singh Dhillon (IC-17248), Infantry.
31. Brigadier Balbir Singh Yadav (IC-17587), Infantry.
32. Brigadier O. P. Nandrajog (IC-19002), Infantry.
33. Brigadier Asish Kumar Dutta (IC-19006), Armoured Corps.
34. Brigadier Hardev Singh Lidder (IC-19009), YSM, Infantry.
35. Brigadier Sukhbir Singh Sethi (IC-22571), Infantry.
36. Brigadier Sebastian Thomas Manimala (IC-26046), Intelligence Corps.
37. Brigadier Manalil Veetil Gangadharan (IC-26583), Infantry.
38. Brigadier Kashyap Sundaram Sivakumar (IC-28605), Infantry.
39. Brigadier Shekhar Kumar Sen (TC-31473), Army Postal Serivce.
40. Brigadier Anjany Kumar Srivastava (MR-02397), Army Medical Corps.
41. Colonel Daleep Yadav (IC-23191), Army Aviation (Artillery).
43. Colonel Jagdish Malhotra (IC-23398), Signals.
44. Colonel Kuldip Singh (IC-24673), Rajputana Rifles.
45. Colonel Mohan Krishan Chauhan (IC-26599), Madras.
46. Coolnel Parmeshwar Kumar (IC-27262), Artillery.
47. Colonel (Dr.) Sriniwas Dikshit (IC-27555), Electrical and Mechanical Engineers.
48. Colonel Bhupendra Pal Singh Khati (IC-27702), Para.
49. Colonel Niladri Shankar Mukherjee (IC-29165), SM Bihar.
50. Colonel Bhanwar Lal Poonia (IC-30386), Guards.
51. Colonel Sanjay Vaman Bhide (IC-30697), Para.
52. Colonel Ashok Singh (IC-30723), Guards.
53. Colonel Kommaraju Ramachandra Rao (IC-30897), Army Ordnance Corps.
54. Colonel Ashwani Kumar Bakshi (IC-30997), Bihar.
55. Colonel Muthana Ballachandra Chengappa (IC-32003), Gorkha Rifles.
56. Colonel Sarabjit Singh Butalia (IC-32283), Armoured Corps.
57. Colonel Vijay Kumar (IC-32551), Garhwal Rifles.
58. Colonel Raj Kumar Chauhan (IC-32857), Jat.
59. Colonel Midha Lokesh Chander (IC-32941), Grenadiers.
60. Colonel Jude Lawrence Cruz (IC-33543), SM, Para.
61. Colonel Mathew Mathew Ponlpadectathil (IC-36138), Sikh Light Infantry.
62. Colonel Ved Prakash Sharma (V-291), Remount Veterinary Corps.
63. Colonel Madan Lal Chawla (MR-2068), Army Medical Corps.
64. Colonel Parameswar Sunder Rajan Aiyer (MR-2440), Army Medical Corps.
65. Colonel (Mrs.) Anju Manchanda (MR-04353), Army Medical Corps.
66. Colonel (Miss) Merbina Mary Lyngdoh (NR-13746), Military Nursing Service.
67. Colonel B Chandrashekar (IC-23545), Signals, DRDO.
68. Colonel Ramesh Khosla (IC-17079), Signals, DP&S.
69. Lieutenant Colonel Onkar Nath Saxena (IC-12174), Rajputana Rifles.
70. Lieutenant Colonel, Virinderjit Singh Grewal (IC-33049), Intelligence Corps.
71. Lieutenant Colonel Kunwar Yudhister Singh Panwar (IC-34769), Para.
72. Lieutenant Colonel Chandra Prakash Roy (MR-02664), Army Medical Corps.
73. Lieutenant Colonel Arun Kumar (MR-3234), Army Medical Corps.
74. Lieutenant Colonel Radhey Shyam Prasad (MR-3407), Army Medical Corps.
75. Lieutenant Colonel (Miss) Rita Peters (NR-15020), Military Nursing Service.
76. Major Avanindra Joshi (IC-47607), SM*, Gorkha Rifles.
77. Rear Admiral Ashok Kumar Kalra, 50197-H.
78. Commodore Narasimhan Venugopal, 00747-Y.
79. Commodore Sekharipuram Krishnan Kalyana Krishnan, 40302-W.

80. Comodore Dilip Deshpande, 40385-H.
81. Commodore Somir Susheel Chandra Mukherjee. 40430-K.
82. Commodore Dhruv Raj Acharya, 60175-K.
83. Comodore Indra Kumar Saluja, 01131-W.
84. Captain Anand Yashwant Kalaskar, 01532-F.
85. Captain Raghavan Ravichander, 40499-T.
86. Captain Dilip Kumar Mohapatra, 70173-H.
87. Surgeon Commander Vinod Kumar Saxena, 75153-A.
88. Commander Aannd Gopal Iyer, 02051-K.
89. Commander Sunil Edwin David, 02110-W.
90. Commander Narayanan Krishnaswamy Sampath. 50404-B.
91. Puthan Vecttil Unnikrishnan, MCA (SE) 1,097139-Y.
92. Panakaparam Vincent Francis, MCPO (MUS) 1,042834-A.
93. Air Commodore Ramesh Chandra Mahadik (8570) Administration.
94. Air Commodore Sudhir Mohan Sethi (9479) Flying (Pilot).
95. Air Commodore Satish Chander Luthra (12899) Medical.
96. Group Captain Raghubir Chand Goyal (8512) Aeronautical Engineering (Electronics).
97. Group Captain Vipen Channa (10960) Flying (Pilot)
98. Group Captain Selvam Kulandaisami Jayarajan (11695) Logistics.
99. Group Captain Harendrajit Singh Garkal (11780) Administration.
100. Group Captain Jitendra Singh Thakur (12012) Flying (Pilot).
101. Group Captain Parminder Pal Singh Sandhu (12644) Aeronautical Engineering (Mechanical).
102. Group Captain Sumit Mukerji, SC (12925) Flying (Pilot).
103. Group Captain Sundaresan Swaminathan (13044) Aeronautical Engineering (Electronics).
104. Group Captain Gajinder Pal Singh Dua (13306) Aeronautical Engineering (Electronics)
105. Group Captain Ram Rattan Bhardwaj (13337) Aeronautical Engineering (Machanical)
106. Group Captain Promod Vasant Athawale (13472) Aeronautical Engineering (Electronics)
107. Wing Commander Jalbir Singh Boparai (13108) Longistics
108. Wing Commander Naresh Chandra Sharma (13586) Flying (Pilot)
10.9. Wing Commander Ajay Kumar Chowdhary (13657) Administration
110. Wing Commander Devinder Singh (14284) Flying (Pilot)
1111. Wing Commander Anil Kumar Srivastava (14698) Administration
112. Wing Commander Bhaskaran Nair Unnikrishnan (15004) Flying (Pilot)
113. Wing Commander Kolar Visweshwara Venkatesh Iyer (15068) Aeronautical Engineering (Mechanical)
114. Wing Commander Kuldeep Malik, VM (15181) Flying (Pilot)
115. Wing Commander Satish Sharma (11656) Flying (Pilot) Retired
116. Squadron Leader Atul Kumar Singh (17041) Administration
117. Squadron Leader Somdeo (17434) Aeronautical Engineering (Mechanical)
118. Squadron Leader Vishwajit Madhukar Akre (19041) Aeronautical Engineering (Eelectronics)
120. 233273 K Junior Warrant Officer Sripati Debnath Carpenter/Rigger
121. GO-420A Deputy Chief Medical Officer Sailendra Nath Mandal, BRO
122. GO-1368P Medical Officer Grade-I R Kanicka Raj, BRO
123. GO-338L Superintending Engineer (Civil), SG, Madanagopal Aswinikumar (Retired), BRO.

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 20-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to Colonel Arakali Mudlagiri Rao Prakash, (IC-33183), SM, Grenariers for the acts of exceptional courage.

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 21-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Colonel Stanley Samuel (IC-30713), Gorkha Rifles.
2. Colonel Pritam Singh Chiib (IC-36046), Punjab.
3. Major Bipin Pal Bhalla (IC-35311), Assam Regiment.
4. Major Jodh Singh (IC-37946), Grenadiers.
5. Major P. Venugopal (IC-37979), Artillery.
6. Major Pandian Chandra Sekar (IC-37711), Artillery.
7. Major Rakesh Sharma (IC-38138), Artillery.
8. Major Alok Mathur (IC-38515), Armoured Corps.
9. Major Manjeet Mehta (IC-38673), Jammu and Kashmir Rifles.
10. Major Biman Saha (IC-39023), Signals.
11. Major Digamber Singh Pokhariya (IC-42907), Guards.
12. Major Dibendu Mukherjee (IC-43454), Marata Light Infantry.
13. Major Sanjay Pradhan (IC-50271), Engineers.
14. Major Raghunanth Singh Shekhawat (IC-50612), Grenadiers.
15. Major Yomesh Kale (IC-48605), Kumaon.
16. Major Naresh Kumar Singh (IC-37215), Guards.
17. Major Chandan Singh Bisht (IC-35544), Intelligence Corps.
18. Major Satinder Pal Singh Parhar (IC-41538), Bihar.
19. Major Bakali Swali Ebrahim (IC-38542), Maratha Light Infantry (Posthumous).
20. Major Vikas Yadav (IC-45068), Jat (Posthumous).
21. Major Velalu Vijaya Bhaskar (IC-46216), Madras.
22. Major Ashutosh Kumar (IC-50353), Jat (Posthumous)
23. Captain Hemant Kumar Sinha (SS-35769), Punjab.
24. Captain Gurinder Singh (IC-43760), Engineers.
25. Captain Raghuraj Singh (IC-46505), Rajputana Rifles.
26. Captain Ranjeet Rattan Kotwal (IC-49065), Jammu and Kashmir Light Infantry.
27. Captain Thangjam Tikendra Singh (IC-50367), Grenadiers.
28. Captain Navrattan Singh (IC-51642), Sikh Light Infantry.
29. Captain Sanjiv Singh (IC-51751), Gorkha Rifles.

30. Captain Dipansu Sinha (IC-52468), Assam Regiment.
31. Captain Sukhinder Singh Garcha (IC-52498), Maratha Light Infantry.
32. Captain Sunil Sheoran (IC-51474), Para.
33. Captain Rohit Singhal (IC-47395), Maratha Light Infantry.
34. Captain Sirohi Raghuvinder Singh (IC-48765), Rajputana Rifles.
35. Captain Anil Kumar Punia (IC-52049), Gorkha Rifles.
36. Lieutenant Alok Jain (IC-54279), Electrical And Mechanical Engineers.
37. Lieutenant Mohammed Suhail Khan (SS-36216), EME.
38. Second Lieutenant Vinod Kumar (IC-52667), Engineers.
39. Second Lieutenant Satinder Pal Singh Sandhu (TA-42228), Territorial Army.
40. Second Lieutenant Puneet Doval (IC-52738), Maratha Light Infantry.
41. Second Lieutenant Sisir Kumar Chhetri (SS-35821), Gorkha Rifles (Posthumous).
42. JC-151723 Subedar Pardhan Singh, Sikh Light Infantry.
43. JC-163723 Subedar Kishor Ratna Mani Rai, Gorkha Rifles.
44. JC-164966 Subedar Mohinder Singh Sund, Rajput.
45. JC-205302 Subedar Jagdish Lal, Jammu and Kashmir Rifles.
46. JC-412166Naib Subedar Avulapalli Mahamad, Para.
47. JC-418208 Naib Subedar Dal Bahadur Gurung, Mechanised Infantry.
48. JC-2000610 Naib Subedar Shib Singh, Assam Rifles (Posthumous).
49. JC-2300125 Naib Subedar Keshar Singh Rawat, Assam Rifles.
50. JC-607009 Naib Subedar Tanka Bahadur Thapa, Gorkha Rifles.
51. JC-629107 Naib Subedar Rameshwar Chhetri, Gorkha Rifles (Posthumous).
52. 2670610 Havildar Dharamvir Singh, Grenadiers.
53. 4458008 Havildar Gurumukh Singh, Sikh Light Infantry.
54. 13739913 Havildar Shiv Kumar, Jammu and Kashmir Rifles.
55. 13679161 Havildar Bhupal Singh, Guards.
56. 2672365 Havildar Rajendra Singh, Grenadiers.
57. 14462336 Havildar A Govinda Rao, Artillery (Posthumous).
58. 2672587 Havildar Shanker Singh Shekhawat, Grenadiers.
59. 2673053 Havildar Karkan Surendra Kumar Daiyav Singh, Grenadiers.
60. 2766783 Havildar Ganpati Bhau Jadhav, Maratha Light Infantry. (Posthumous)
61. 4351913 Havildar Mashat Lamkang, Assam Regiment.
62. 2674348 Naik Mahesh Singh Bhadoria, Grenadiers.
63. 2675487 Naik Ram Pal, Grenadiers.
64. 4259415 Naik Budhwa Toppo, Bihar.
65. 2779641 Naik Maske Vinayak Krishnaji, Maratha Light Infantry.
66. 2981991 Naik Ram Pal Singh, Mahar. (Posthumous)
67. 2586720 Naik Vinayan R, Madras. (Posthumous)
68. 2476645 Naik Ranjit Singh, Para.
69. 2879395 Lance Naik Raju Singh, Rajputana Rifles. (Posthumous).
70. 3175782 Lance Naik Rishi Pal, Jat. (Posthumous)
71. 3177263 Lance Naik Surendra Singh, Jat (Posthumous)
72. 3176185 Lance Naik Bansidhar Yadav, Jat (Posthumous)
73. 13616415 Lanct Naik Rajan Singh Mehra, Para.
74. 3185765 Sepoy Vinod Kumar, Jat. (Posthumous)
75. 4559707 Sepoy Gaikwad Shamrao Bhimrao, Mahar. (Posthumous)
76. 3390834 Sepoy Gurnek Singh, Sikh Regiment. (Posthumous)
77. 2987056 Sepoy Birbal Ram, Rajput.
78. 3182844 Sepoy Yodhvir Singh, Infantry.
79. 6482341 Sepoy Surinder Singh, Army Service Corpt (AT).
80. 418617 Sepoy Shiv Raj Singh, Kumaon. (Posthumous)
81. 2592279 Sepoy A Francis Suresh Kumar, Madras (Posthumous).
82. 2791873 Sepoy Patil Subhash Pundalik, Maratha Light Infantry. (Posthumous)
83. 3185381 Sepoy Dharamvir Singh, Jat.
84. 4356122 Sepoy Pawa Singh Kanwar, Assam Regiment.
85. 5451543 Rifleman Pramesh Ghale, Gorkha Rifles.
86. 4066786 Rifleman Hukam Singh, Infantry. (Posthumous)
87. 2002974 Rifleman Yashpal Singh, Assam Rifles (Posthumous)
88. 9418248 Rifleman Indra Kumar Rai, Gorkha Rifles (Posthumous)
89. 9420530 Rifleman Umesh Rai, Gorkha Rifles (Posthumous)
90. 9087652 Rifleman Abdul Rehman, Jammu & Kashmir Light Infantry. (Posthumous)
91. 13619691 Paratrooper Asit Subba, Para.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 22-Pres/97.—The President is pleased to approve award of the "Vayu Sena Medal/Air Force Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Group Captain Shankar Mani, VSM (13596) Flying (Pilot).
2. Wing Commander Rakesh Kumar Jolly (14083) Flying (Pilot).
3. Wing Commander Ravi Kant Sharma (14088) Flying (Pilot).
4. Wing Commander Muthumanickam Matheswaran (14104) Flying (Pilot).
5. Wing Commander Rahul Dhar, SC (14561) Flying (Pilot).
6. Wing Commander Satnam Singh (14676), Flying (Pilot).
7. Wing Commander Arun Purushottam Garud (14692) Flying (Pilot).
8. Wing Commander Pochana Prasad Reddy (15008) Flying (Pilot).
9. Wing Commander Kuldeep Singh Bhardwaj (15207) Flying (Pilot).
10. Wing Commander Janakiram Balasubramanian, SC (15558) Flying (Pilot).
11. Squadron Leader Rohit Varma (16029) Flying Pilot).

12. Squadron Leader Prabhamohan Mohandas Baliga (16817) Flying (Pilot).
13. Squadron Leader Sanjay Thapar (16871) Accounts Para Jumping Instructor.
14. Squadron Leader Rajeev Sharma (17004) Flying (Pilot).
15. Flight Lieutenant Samir Jay Pendse (20495) Flying (Pilot).
16. Flight Lieutenant Sunil Kumar Kashyap (20991) Flying (Pilot).

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 23-Pres/97.—The President is pleased to approve the award of the "Nao Sena Medal/Navy Medal" to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Captain Rajiv Dhamdhere, 01397-Z.
2. Commander Rohit Kaushik, 01832-N
3. Commander Anoop Kumar Dixit, 02108-R.
4. Commander Thrivikram Rao Simhachalam Padula, 40771-K
5. Commander (SDW) Ranjit Singh Banyal, 89043-W.
6. Acting Commander Arun Kumar Sinha, 02338-N.
7. Lieutenant Commander Vinit Kumar Shukla, 02984-F.
8. Lieutenant Commander Pradeep Kumar Rautray, 50685-T.
9. Lieutenant Sanjay Shrikant Chitnis, 03258-B.
10. Lieutenant Simon Mathai, 03603-N.
11. Jayaraman Ravichandran, MCERA II, 185095-Y.
12. Kuldeep Singh Katoch, LS(QA)I(ACD) 113785-B.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 27th February 1997

No. 4/1/3/COD/96.—Shri Bhanu Prakash Mirdha has been nominated to be a Member of the Departmentally Related Standing Committee on Defence for the year 1996-97 with effect from February 26, 1997.

V. N. GAUR
Director

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 20th February 1997

RESOLUTION

No. R-11014/8/94-CPC.—In continuation of this Deptt.'s Resolution of even number dated 20-3-1996, the following Members are nominated on the Central Council on Cooperation.

(A) *Members of Parliament*

Members

1. Shri K. P. Singh Deo, MP (Lok Sabha).
2. Shri N. Dennis, MP (Lok Sabha).
3. Dr. Ashok Mitra, MP (Rajya Sabha).

(B) *Non-officials*

Members

(i) Shri Kulwant Rai Verma,
S/o Shri Mallu Ram Verma,
Vill. 59 RB, Kumhara Wale,
Post Gangwale (56 RB),
Distt. Sriganganagar, Rajasthan.

(ii) Shri Satendra Narain Singh,
Vice-Chairman, Arrah-Buxar,
Central Coop. Bank,
Arrah, Distt. Bhojpur, Bihar.

(iii) Dr. Ugra Mohan Jha,
Professor & Head,
Deptt. of Rural Economy,
Director Agro Economic Research
Bhagalpur University &
Centre, Bhagalpur.

ORDER

ORDERED that the copy of the Resolution alongwith the original be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MOHAN KANDA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 11th February 1997

RESOLUTION

No. F. 6-4/94-U. 3.—Whereas in pursuance of Rule 3 of the Rules and Regulations of the Indian Institute of Advanced Study Society, Shimla, Government of India reconstituted the Society of the Indian Institute of Advanced Study vide Resolution No. F. 6-4/94-U. 3 dated 4th July, 1995.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments to the Government Resolution No. F. 6-4/94-U. 3 dated 4th July, 1995 :—

In the said Resolution for 3 (b)(i) 'Six Vice-Chancellors of Indian Universities nominated by the Central Government', the following shall be substituted :—

3(b)(i) (2) Prof. S. Gopal,
Vice-Chancellor,
Mangalore University,
Mangalore-574199.

3(b)(i) (5) Prof. M. Y. Qadri,
Vice-Chancellor,
University of Kashmir,
Hazratbal,
Srinagar-190006.

NAVED MASOOD
Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th February 1997

No. Q-16012/2/89-ESA (WE).—Whereas the composition of the reconstituted Central Board for Workers Education was notified vide Ministry of Labour Notification No. Q-16012/2/89-ESA (WE) dated 28th November, 1994 for information of the Public. In pursuance of Rule 3(i) of the Rules and Regulations of Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Dr. Antony Raj s.j. Chairman, CBWE in place of Shri Sanat Mehta and the following changes are hereby notified :—

For the existing entry viz :—

1. Shri Sanat Mehta,
Chairman,
Central Board for Workers Education,
Shram Sadhna Raopura,
Vadodra (Gujarat).

The following entry shall be substituted viz :—

1. Dr. Antony Raj s.j.,
Chairman,
Central Board for Workers Education,
Kasturi Illam, PTC Post,
Perungudi, Madurai-625022,
Tamilnadu.

GOPAL SINGH
Under Secy.

(D.G.E.&.T.)

New Delhi, the 31st January, 1997

No. DGET-19(1)/96-CD—In Pursuance of Sub-Paragraphs (e) to (k) of paragraph 5 of the Government of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment & Training) Resolution No. DGET-109(1)/96-CD dated 19-10-96 amending partially the Resolution No. TR/EP-24/56, dated 21st/24th August, 1956, published in the Gazette of India, Part-I, Section-I and in supersession of Notification No. DGET-19(21)/92-CD dated 16th April, 1993 of the Government of India, Ministry of Labour, (Directorate General of Employment & Training), the following persons have been nominated by the Central Government in consultation with the authorities concerned to represent the various organisation, bodies etc. on the National Council for Vocational Training for a period of three years from 16-10-96.

S. No.	Name of the Member	Organisation representing.
1	2	3
(A) Representatives of Employers organisations.		
1.	Sh. P. K. Verma	The Employers Federation of India.
2.	Dr. P. N. Bhagwati	Confederation of Indian Industry (CII)
3.	Dr. Ms. N. Hamsa	All India Organisation of Emoployers. (AIOE)
(B) Representatives of Workers Organisations.		
4.	Sh. R. A. Mittal	Hind Mazdoor Sabha (HMS)
5.	Sh. Gokulananda Jeva	Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS).
6.	Sh. D. K. Singh	Indian National Trade Union Congrees (INTUC)
(C) Representative of Learned Bodies		
7.	Sh. K. S. Madeshwari	Delhi Productivity Council (DPC)
8.	Sh. J. S. Nain	Institute of Applied Manpower Research (IAMR)
9.	Sh. A. P. Verma	National Council of Educational Research and Training (NCERT)
10.	Dr. D. K. Sharma	All India Council for Technical Education (AICTE).
(D) Expert :		
11.	Sh. S. P. Soman	Skiltek Educational Institute-Kochi.
(E) Representative of SC/ST		
12.	Sh. R. A. Sita Ram	S.C.
13.	Sh. A. Singh Sit	ST
(F) Representative of All India Women Organisation		
14.	Dr. (Mrs.) Uma Tuli	National Commission for Women.

KRISHNA SHARMA,
Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

RULES

New Delhi, the 15th March 1997

No. F. 11013/2/97-IES.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1997 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the Indian Statistical Service are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A Candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for admission to this examination, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on 1st January, 1997 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1969 and not later than 1st January, 1976.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(iii) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe;

(iv) upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1997 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1997 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(v) upto a maximum of ten years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and who have rendered at least five years Military service as on 1st January, 1997 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1997) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment.

(vi) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January, 1997 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issue a certificate that they can apply for Civil employment and they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment;

(vii) upto a maximum of ten years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January 1997 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issue a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(viii) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

Note 1. The term Ex-serviceman will apply to the persons who are defined as 'Ex-servicemen' in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and posts) Rules, 1979 as amended from time to time.

Note 2. Candidates falling under rule 5(b)(ii) to 5(b)(viii) who do not belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not eligible for age concession if they have already joined any Government job on civil side after availing of the age concession.

The Ex-Servicemen who have already secured regular employment under the Central Govt. in a civil post are, however, permitted the benefit of age relaxation as admissible to Ex-Servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Government.

Note-III Candidates belongs to Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 5(b) above, viz. those coming under the category of Ex-Servicemen etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as subject from any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I—Candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them eligible to appear at this examination but have not been informed of the result may apply for admission to the examination. Candidates who intend to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce the proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed application which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the examination.

NOTE II—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualification, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

NOTE III—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. Written Examination and Interview Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to cirminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva-voce*.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may be summoned for *viva voce* by the Commission by applying relaxed standards if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for *viva voce* on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service(s).

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standard referred to in this sub-rule shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or, the appointing authority, as the case may be, may prescribed is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

17. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

18. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix-II.

S. NAYAK, Deputy Economic Adviser

APPENDIX I

SCHEME OF EXAMINATION
SECTION I

The examination shall be conducted according to the following plan—

Part I—Written examination carrying a maximum of 900 marks in the subjects as shown below.

Part II—*Viva voce* of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

PART-I

The subjects of the written examination under Part-I, the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :—

Indian Statistical Service

Sl. No.	Subject	Code No.	Maximum Marks	Time Allwoed
1	2	3	4	5
1.	General English	01	150	3 hrs.
2.	General Studies	02	150	3 hrs.
3.	Statistics I	21	200	3 hrs.
4.	Statistics II	22	200	3 hrs.
5.	Statistics III	23	200	3 hrs.

NOTE.—The details of standard and syllabii for the examination are given in Section II below.

2. The question papers in all the subjects will be of Conventional (essay) type.

3. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH, QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers wherever necessary, questions involving the use of Metric System of weights and measures only will be set.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

PART-II

Viva Voce—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service for which he has completed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study but also in events which are happening around him both within and outside his own State or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

SECTION II

STANDARD & SYLLABI

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected

to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian porblems in the field(s) of Statistics.

GENERAL ENGLISH (Code No. 01)

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL STUDIES (Code No. 02)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian Polity including the political system and the Constitution of India, History of India and Geography of a nature which a candidate should be able to answer without special study.

STATISTICS-I (Code No. 21)

Probability (40 percent weight)

Elements of measure theory. Classical definitions and axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Probability of m events out of n. Conditional probability. Bayes' theorem. Random variables—discrete and continuous. Distribution function. Standard probability distributions—Bernoulli, uniform, binominal, poisson, geometric, rectangular, exponential, normal, Cauchy, hypergeometric, multinominal, Laplace, negative binomial, beta, gamma, lognormal and compound Poisson distribution. Convergence in distribution, in probability, with probability one and in mean square. Moments and cumulants, Mathemetical expectation and conditional expectation. Characteristic function and moment and probability generating functions. Inversion, uniqueness and continuity theorems. Tchebycheff's and Kolmogorov's inequalities. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables.

Statistical methods (45 percent weight)

Collection, compilation and presentation of data. Charts, diagrams and histogram. Frequency distribution. Measures of location, dispersion and skewness. Bivariate and multivariate data. Association and contingency. Curve fitting and orthogonal polynomials. Bivariate distributions. Bivariate normal distribution. Regression - linear, polynomial. Distribution of the correlation coefficient. Partial and multiple correlation. Intraclass correlation. Correlation ratio.

Standard errors and large sample tests, Sampling distributions of x, S^2, t, chi-square and F; tests of significance based on them.

Non-parametric tests - sign, median, run. Wilcoxon, Mann-Whitney, Wald-Wolfowitz etc. Rank order statistics—minimum, maximum, range and median.

Numerical Analysis (15 percent weight)

Interpolation formulae (with remainder terms) due to Lagrange. Newton-Gregory, Newton (Divided difference). Gauss and Stiring. Euler-Maclaurin's summation formula. Inverse interpolation Numerical integration and differentiation. Difference equations of the first order. Linear difference equations with constant co-efficients.

STATISTICS—II (Code No. 22)

Linear Models (25 percent weight)

Theory of linear estimation. Gauss-Markoff set up. Least square estimators.. Use of g-inverse. Analysis of one-way and two-way classified data—fixed, mixed and random effect models. Tests for regression co-efficients.

Estimation (25 percent weight)

Characteristics of a good estimator. Estimation methods of maximum likelihood, minimum chi-square, moments and least squares. Optimal properties of maximum likelihood estimators. Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound estimators. Cramer-Rao inequality. Bhattacharya bounds. Sufficient estimator. Factorisation theorem. Complete statistics. Rao-Blackwell theorem. Confidence interval estimation, Optimum confidence bounds.

Hypothesis testing (25 percent weight)

Simple and composite hypothesis. Two kinds of error. Critical region. Different types of critical regions and similar regions. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma Unbiased test. Randomised test. Likelihood ratio test. Wald's SPRT. OC and ASN functions. Elements of decision and game theory.

Multivariate Analysis (25 percent weight)

Multivariate normal distribution. Estimation of mean Vector and covariance matrix. Distribution of Hotelling's T statistic. Mahalanobis's D^2 statistic, partial and multiple correlation coefficients in samples from a multivariate normal population. Wishart's distribution, its reproductive and other properties. Wilk's criterion. Discriminant function, Principal components, Canonial variates and correlations.

STATISTICS—III (Code No. 23)

PART (A) (Compulsory for all)

Sampling Techniques (35 percent weight)

Census versus sample survey. Pilot and large scale sample surveys. Sample random sampling with and without replacement. Stratified sampling and sample allocations. Cost and variance functions. Ratio and regression methods of estimation. Sampling with probability proportional to size. Cluster double, multiphase, multistage, and systematic sampling. Interpenetrating sub-sampling. Non-sampling errors.

Economic Statistics (25 percent weight)

Components of time series. Methods of their determination—variate difference method. Yule-Slutsky effect. Corelogram. Autoregressive models of first and second order. Periodogram analysis. Index numbers of prices and quantities and their relative merits. Construction of index numbers of wholesale and consumer prices. Income distribution—Pareto and Engel curves. Concentration curve. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Inter-industry table.

PART (B)

CANDIDATES WILL BE ALLOWED OPTION OF ANSWERING QUESTIONS ON ANY ONE OF THE FOLLOWING TOPICS

(i) *Statistical Quality Control and Operations Research* (40 *percent weight*)

Different kinds of control charts of variable and attributes. Acceptance sampling by attributes—Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Concept of AOQL and ATI. Acceptance sampling by variable—use of Dodge—Romig and other tables.

Operations research approach Elements of linear programming. Simplex procedure. Transport and assignment problems. Principle of quality. Single and multi-period inventory control models. ABC analysis. Characteristics of a waiting line model. M/M/I, M/M C models. General simulation problems. Replacement models for items that fail and of items that deteriorate.

(ii) *Demography and Vital Statistics* (40 *percent weight*)

The life table, its constitution and properties. Makehams and Gompertz curves. National life tables. UN model life tables. Abridged life tables. Stable and stationary populations. Different birth rates. Total fertility rate. Gross and net reproduction rates. Different mortality rates. Standardised death rate. Internal and international migration : net migration. International and postcensal estimates. Projection method including logistic curve fitting. Decennial population census in India.

(iii) *Design and Analysis of Experiments (40 percent weight)*

Principles of design of experiments. Layout and analysis of completely randomised, block and latin square designs. Factorial experiments and confounding in 2^n and 3^n experiments. Split-plot and strip-plot designs. Construction and analysis of balanced and partially balanced incomplete block designs. Analysis of covariance. Analysis of non-othogonal data. Analysis of missing and mixed plot data.

(iv) *Econometrics* (40 *percent weight*)

Theory and analysis of consumer demand—specification and estimation of demand functions. Demand elasticities. Structure and model. Estimation of parameters in single equation model—classical least squares, generalised least-square, heteroscedasticity, serial correlation, multicollinearity errors in variable model. Simultaneous equation models —Identification, rank and other conditions. Indirect least squares and two stage least squares. Short-term economic forecasting.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination.

1. Candidates selected will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for the Services to which the recruitment is being made are as follows :

Level/Post *Pay Scale*

Indian Statistical Service

Higher Administrative Grade (Rs. 7300—7600).

Senior Administrative Grade (Rs. 5900—6700).

Junior Administrative Grade (3700—5000).

(Inclusive of a non-functional selection grade in the scale of Rs. 4500—5700).

Senior Time Scale (Rs. 3000—4500).

Junior Time Scale (Rs. 2200—4000).

6. Promotion to the next Grade of the Service will be made in accordance with the provisions of Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Statistical Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post including any State Government or non-governmental organisation on deputation for a specified period.

7. Condition of service, leave and pension etc. for officers of the Service will be governed by the rules applicable to members of other Central Civil Services Group 'A'.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners].

The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels calve buttocks and shoulders touching the standard. The chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades, behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the ape. The candidate will then be directed to take deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centrimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed, and his weight recorded in kilograms; fraction of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9	6/9		
6/9	or 6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of Vision*.—The field of vision will be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness*.—Broadly there are two types of night blindness, (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinits igmentosa in (1) the fundus is normal generally seen in younger age-group and ill-nourished persons and improves by large doses of Vit,' A and (2) the fundu, is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-retinography is required to be done. Both these tests (dark adaption and retinograpny) are time-consuming and require specialized set-up and equipment and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical consideration it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular condition, other than visual acuity*.—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint*.—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye*.—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is amblyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommended as fit such person provided the normal eye has—

(i) 6/6 distant vision and JI near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses*.—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows—

(i) With young subjects 15—25 years of the age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm, and diastolic over 90 mm. should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of clothes bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The branchial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly defated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. The 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If expect for the glycosuria the Board finds the candidate confirm to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subect to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination, clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

The following additional points should be observed:

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal,	Fit for non-technical jobs if the deafness is up to 30 decible in higher frequency.
(2). Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both techical and non-technical job if the deafness is up to 3 decible in speech frequency of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic memberane of central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tym-t panic membrane present Temporarily unit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other performation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(ii) Marginal or attic foration in both ears—Unfit.
	(iii) Central perforation in both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity Fit for both technical and non-technical jobs.
	(ii) Mastoid cavity of both-sides—Unfit for technical jobs. Fit for non techincal jobs if hearing improves to 30 Decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently/discharging ear operated/unoperated.	Temporaritly Unfit for both technical and non-technical jobs.
6. Chroni inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(a) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
	(ii) if deviated nasal septum is present with symptoms Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or larynx—Fit.
	(ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT.	(i) Being tumours—Temporarly Unfit.
	(ii) Malignant tumours—Unfit.
(9) Otosclerosis	If the hearing is within 30 Decibles after operation or with the help of hearing aid Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit.
	(ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly	(i) Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effecttive mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well-formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidate filling an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated

to the candidates, otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board would be arranged at New Delhi only and no traveling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Ministry of Planning (Department of Statistics) as the case may be on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service

The Board should normally consist of three members (i) a Physician (ii) a Surgeon and (iii) an Opthalmologist all of whom should as far as practicable be of equal status. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidate appointed to the Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum.

On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporary until for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidates statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) ....

2. State your age and birth place........

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwali, Assameese, Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'yes' or 'No' and if the answer is 'yes' state the name of the race. ....

(b) Have you ever had small pox, intermittent or any other fever enlargement or supporation of glands, spitting of blood, asthama, heart disease, lung diseases faintings attacks, rheumatism appendicitis ....

or

Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?

4. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause? ....

5. Furnish the following particulars concerning your your family :—

Father's age if living and state of health	Fatehr's age at death and cause of death	No. of brothers living their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at death and cause of death
1			
2			
3			

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sister dead, their ages of death and cause of death
1			
2			
3			

6. Have you been examined by a Medical Board before? . . . .

7. If answer to above is 'yes' please state what Service/Services, you were examined for ....

8. Who was the examining authority ....

9. When and where was the Medical Board held? ....

10. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.

I declare that all the above answers are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature ....

Signed in my presence ....

Signature of the Chairman of the Board

Note—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate) Physical Examination ....

1. General development ....Good ......fair ...... Poor ....

Nutrition : Thin ....Average .... Obese ...... Height (without shoes) .... weight .... Best Weight .... When ? .... any recent change in weight ? .... Temperature ....

Girth of Chest :

(1) After full inspiration ....

(2) After full expiration ....

2. Skin : Any obvious disease ....

3. Eyes :

(1) Any disease ....

(2) Night blindness ....

(3) Defect in colour vision ....

(4) Field of vision ....

(5) Visual acuity ....

(6) Fundus examination ....

Acuity of vision	Naked eye with glasses	Strength of glasses		
		Sph.	Cyl.	Axis
Distant Vision	R.E.			
	L.E.			
Near Vision	R.E.			
	L.E.			

4. Ears : Inspection .... Hearing : Right Ear .... Left Ear ....

5. Glands ....Thyroid

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs? If yes, explain fully................

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ? .... Rate Standing ....

After hopping 25 times ....

2 minutes after hopping ....

(b) Blood Pressure : Systolic ....Diastolic .. ....

9. Abdomen : Girth ....Tenderness .... Hernia ....

(a) Palpable : Liver ...., Spleen .... Kidneys .... Tumours ....

(b) Haemorrhoids .... Fistula ....

10. Nervous System : Indication of nervous of mental disabilities ....

11. Loco-Motor System : Any abnormality ....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hyderocele varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance ....

(b) Sp. Gr. ....

(c) Albumen ....

(d) Sugar ....

(e) Casts ....

(f) Cells ....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest ....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ? ....

Note : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Statistical Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit ....

(ii) Unfit on account of ....

(iii) Temporary unfit on account of ....

Chairman

Place ....

Date ....

Member

Member

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997

Printed by the Manager, Govt. of India Press Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997